www.navpradesh.com

दैनिक
नवप्रदेश
अंधियारा तमस परस्तात
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 2 | अभिव्यक्ति 4 | छत्तीसगढ़ 6 | आंचलिक 7 | छत्तीसगढ़

RNI NO.CHHHIN/2012/41806 रायपुर, शुक्रवार 15 जुलाई 2022, कृष्ण पक्ष द्वितीया, विक्रम संवत-2078 वर्ष-11 अंक-140 पृष्ठ-08 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

//-- सुविचार --//

दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान ज़रूर देते हैं।

आज बेबाक

यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े किए गए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपनी प्राथमिकताएं गिनानी शुरू कर दी है। समर्थन जुटाने के लिए जिस राज्य में जाते है एक नया शिगूफा छोड़ते है। पहले उन्होने बयान दिया था कि यदि वे राष्ट्रपति बन गए तो नुपूर शर्मा को जेल भिजवा देंगे। फिर एक जगह कहा कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है वे राष्ट्रपति बनते ही इस दुरूपयोग पर रोक लगा देंगे। अब उन्होने फरमाया है कि वे राष्ट्रपति बने तो सीएए लागू नहीं होने देंगे। लगता है वे राष्ट्रपति शासन लगाएंगे।

सूर्योदय

उदय : 5:33 प्रातः

अस्त : 7:20 संध्या

जनसंख्या

विश्व : 7,960,083,980

भारत : 1,408,034,800

बाजार

संसेक्स : 53416.15

निफ्टी : 51,160

गोल्ड : 50,619 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 57,000 प्रति किग्रा

अण्डा दर : 4.86 प्रति नग

प्रदेश का मौसम

स्थान	अधिकतम	न्यूनतम
रायपुर	28.4	23.8
बिलासपुर	30.8	24.8
जगदलपुर	24.1	21.5
अंबिकापुर	31.0	24.4

आज का दिवस

विश्व युवा कौशल दिवसः संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस विश्व स्तर पर मनाता है। यह दिन युवा लोगों, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है और साथ ही युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। 2014 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया।

दो पेड़ों के सहारे बिजली तार के जुगाड़ से देसी तकनीक से ग्रामीणों का सेतु

प्रशासन को आइना दिखाता ये पुल! जुगाड़ के पुल पर जोखिम में जान

बिजली के तार से पुल का जुगाड़ : सुकमा जिला के गादीरास तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानकपाल के नागलगुड़ा में ग्रामीणों ने बिजली तार से जुगाड़ का पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल से बारिश के दिनों में ग्रामीणों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध हों सके। ग्रामीणों के मुताबिक इस पुल का निर्माण करीब 10 वर्ष पहले निर्माण ■ शेष पृष्ठ 6 पर

पवन साहा

सुकमा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारी बारिश हो रही है। सीमावर्ती जिले सुकमा और बीजापुर में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। सुविधाओं की कमी के चलते ग्रामीण मौत से जंग लड़कर बारिश का सामना आए दिन कर रहे हैं। सुकमा से ऐसे ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आयी है। इसमें देशी जुगाड़ से ग्रामीण उफनते नदी-नाले के ऊपर देशी जुगाड़ से सेतु का निर्माण किया है। दरअसल, यहां बिजली सप्लाई के लिए जिस तार का उपयोग मेन लाइन के लिए किया जाता है, उसी तार का उपयोग कर ग्रामीणों ने करीब 70 से 80 मीटर से अधिक लम्बा पुल मलगेर नदी को पार करने के लिए बनाया है।ग्रामीणों के लिए भले ही बारिश के दिनों में यह दिनचर्या का हिस्सा हो, लेकिन ये ■ शेष पृष्ठ 6 पर

खेत-खलिहान नदी के उस पार

ग्रामीणों के खेत नदी के उस पार हैं, पुल नहीं होने के चलते खेती किसानी के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी काफी प्रभावित होती हैं। नदी के उस पार दो पंचायत के करीब आधा दर्जन गांव हैं। आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही अपनी समस्या का समाधान करने का सोचा और आवश्यकता ही अविष्कार की जननी कहावत को चरितार्थ करते हुए लकड़ी व तार के सहारे नदी पर जुगाड़ ■ शेष पृष्ठ 6 पर

छत्तीसगढ़ में विधायकों व मंत्रियों का बढ़ेगा वेतन, नई ट्रांसफर नीति बनेगी

■ मछुआ नीति भी मंजूर

रायपुर/नवप्रदेश। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य में स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया है। नई ट्रांसफर नीति के लिए कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का फैसला लिया है। बैठक में नई मछली पालन नीति, विधायकों व मंत्रियों के वेतन व भत्ता बढ़ाने के विधेयक को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर अब डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स की भर्ती की जाएगी, जिससे सहायक आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी। राजस्व बढ़ाने आबकारी शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों को विधानसभा में रखा जाएगा।

बैठक में यह निर्णय हुए

- राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदन।
- प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग भर्ती की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी और सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान मिलेगा।
- स्थानांतरण नीति-2022 के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा। सुझाव व अनुशंसा के आधार पर नई नीति बनेगी, जिसे सीएम से अनुमोदन प्राप्त होगा।
- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन।
- विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन
- छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन ■ शेष पृष्ठ 6 पर

श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने ईमेल के जरिए भेजा इस्तीफा

कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने गुरुवार को संसद अध्यक्ष को अपना इस्तीफा ईमेल किया। बुधवार को अपनी पत्नी के साथ श्रीलंका से भागे राजपक्षे को निजी यात्रा पर सिंगापुर में प्रवेश की अनुमति दी गई है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, राजपक्षे ने न तो शरण मांगी है और न ही उन्हें शरण दी गई है। वे 'निजी दौरे' पर सिंगापुर आए हैं। इससे पहले श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने बृहस्पतिवार को गोटबाया राजपक्षे को सूचित किया था कि उन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रपति के तौर पर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, वरना वह उन्हें पद से हटाने के लिए अन्य विकल्पों पर गौर करेंगे। चेतावनी के बाद राजपक्षे ने गुरुवार को अपना इस्तीफा मेल कर दिया।

सीमावर्ती क्षेत्रों में चलेगा एंटी नक्सल ऑपरेशन

■ डीजीपी जुनेजा की अध्यक्षता में पड़ोसी राज्य ओड़िशा के पुलिस अफसरों के साथ हुई अहम बैठक

रायपुर। नक्सलियों को जड़ से खत्म करने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों ने रणनीति तैयार की है। छत्तीसगढ़ व ओड़िशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों के विरूद्ध ऑपरेशन लांच किया जाएगा। आज राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा के अध्यक्षता में हुई बैठक में संयुक्त ऑपरेशन पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाए जाने की नयी रूपरेखा पर चर्चा की गई, साथ ही दोनों राज्यों की गुप्त सूचनाओं (इंटेलिजेंस इनपुट) को साझा करने के बारे में भी विचार विमर्श हुआ। इसी प्रकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोनों राज्यों में सुरक्षा बलों के कैम्प तथा पुलिस स्टेशनों के बीच समन्वय स्थापित करने, नक्सलियों के सीमा पार करने वाले आवागमन मार्गों पर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार, 18 साल पुराने केस में मिली 2 साल की सजा

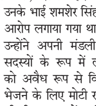

नई दिल्ली (ए.)। पटियाला की एक अदालत के आदेश पर पंजाब के मशहूर गायक दलेर मेहंदी को साल 2003 में उनके खिलाफ दर्ज एक मानव तस्करी मामले में जेल भेज दिया गया है। मेहंदी की ओर से गुरुवार को अदालत में सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में मौजूद मेहंदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

दरअसल, दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी रकम ली थी। 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया था और उन्हें दो ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कल भाजपा संसदीय दल की बैठक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर होगा फैसला

नई दिल्ली (ए.)। उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो चुका है। हालांकि अभी न तो एनडीए ने ही अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और न ही विपक्ष ने। 16 जुलाई को नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम तय हो जाएगा और इसके बाद नाम की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 19 जुलाई आखिरी तारीख है।

आगे चल रहा मुख्तार अब्बास नकवी का नाम

मुख्तार अब्बास नकवी के मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद से ही उनका नाम उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में आगे बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नकवी के नाम पर सहमति लगभग बन चुकी है। वह मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पर थे।

तीन अन्य नामों पर भी कयास

जब तक एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो जाता है, कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। इस दौड़ में तीन और नाम भी बताए जा रहे हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, मौजूदा शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एसएस अहलुवालिया शामिल हैं। प्रभु रेल मंत्री रह चुके हं।

नजदीक आ रही है सोनिया गांधी की पेशी की तारीख, फिर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस

नई दिल्ली (ए.)। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 जुलाई को तलब किया है। खबर है कि इस मौके पर कांग्रेस फिर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले जांच एजेंसी पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से भी लंबी पूछताछ कर चुकी है। उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया था।

बुधवार को हुई पार्टी मीटिंग में देशभर में विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शेरनी हैं। वह इन चीजों से डरती नहीं हैं। उन्होंने ऐसी कई चीजें देखी हैं। वह ईडी कार्यालय जाएंगी और इस सरकार का सामना करेंगी।' इस मामले में ईडी खड़गे और पवन बंसल से पहले ही पूछताछ कर चुकी है।

पहले भी हुआ था जमकर हंगामा

ईडी ने जून में राहुल गांधी से भी करीब पांच दिनों तक पूछताछ की थी। उस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं ने जांच एजेंसी का विरोध किया था और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर भी विरोध जताया था।

एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि पार्टी नेशनल हेराल्ड मामले में पैंफ्लेट बांटने की भी तैयारी कर रही है। खबर है कि जांच एजेंसी ने सोनिया को 21 जुलाई को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले भी सोनिया को 8 जून को बुलाया गया था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के चलते उस दौरान वह अस्पताल में भर्ती हो गई थीं। PMLA की धाराओं के तहत ईडी सोनिया और राहुल के बयान दर्ज करना चाहती है।

फिलहाल, जांच एजेंसी इस मामले में शेयरहोल्डिंग पैटर्न और आर्थिक लेनदेन के साथ-साथ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (YIL) के काम में पार्टी पदाधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।

सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं : मोहन भागवत

नई दिल्ली। देश में पिछले कुछ समय से जनसंख्या विस्फोट को लेकर हो रही प्रतिक्रियाओं के बीच इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जीवित रहना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, यह जंगल का कानून है। लेकिन दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्य की निशानी है। इसके अलावा मोहन भागवत ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।

'मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं'

दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। वहां पर अपने संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने धर्म परिवर्तन का भी जिक्र किया और जनसंख्या पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उदेश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं, जिनका निर्वाहन उन्हें समय-समय पर करते रहना चाहिए। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी कर सकते हैं।

अखिलेश को अब चाचा शिवपाल यादव का झटका

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यूपी में नगर निकाय और महापौर चुनाव अखिलेश यादव की सपा से अलग और सपा के खिलाफलड़ सकती है। शिवपाल ने कहा कि वह सपा में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपेक्षा के कारण वह जल्द ही पूरे प्रदेश में अपनी प्रगतिशील समाज पार्टी के संगठन को सक्रिय करेंगे और उत्तर प्रदेश में होने वाले महापौर एवं नगर निकायों के चुनाव में मैदान में उतारेंगे।

सुनवाई...

याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सुको ने खारिज की छत्तीसगढ़ में 16 आदिवासियों के मारे जाने की जांच की मांग

नई दिल्ली/रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक सक्रिय रहे सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है. उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोमपाड़ में साल 2009 में 16 आदिवासियों के मारे जाने के मामले की जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है. इसी याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है. जस्टिस एएम खानविलकर और जे बी पारदीवाला की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार को जुर्माने की रकम चुकाने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है.

16 आदिवासियों के मारे जाने के मामले में झूठा आरोप लगाने की दलील केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी. एससी ने केन्द्र सरकार की दलील पर कहा कि वे आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ते हैं. कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में केवल झूठा आरोप लगाने का ही नहीं, बल्कि आपराधिक साजिश रचने पर भी कार्रवाई की जा सकती है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में अंतर-राज्यीय प्रभाव हो सकते हैं.

केन्द्रीय एजेंसी से जांच की अपील

सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग का अनुरोध किया. कोर्ट ने सॉलिसिटर का अनुरोध मान लिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यूज 18 ने हिमांशु कुमार से संपर्क किया. हिमांशु कुमार ने फैसले की जानकारी होने की बात स्वीकार की. उन्होंने कहा कि फैसले के वक्त वे कोर्ट में मौजूद नहीं थे.

ये है मामला

बता दें कि साल 2009 में सुकमा के गोमपाड़ में सुरक्षा बलों की एक टीम ने मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया था. मारे गए सभी आदिवासी थे. इस घटना में एक आदिवासी महिला ने दावा किया था कि सुरक्षाबलों ने गांव के निर्दोष लोगों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की है. इसके बाद तब दंतेवाड़ा में रहने वाले चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और अन्य 12 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में करीब 13 साल तक सुनवाई चली.

संपादकीय

असंसदीय शब्दों को लेकर सियासत

संसद में कुछ असंसदीय शब्दों और वाक्यों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है। अब माननीय इन आपत्तिजनक शब्दों जैसे कमीना, दलाल, सांड, कोयला चोर, छोकरा और खून की खेती जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि वे इन असंसदीय शब्दों का उपयोग करेंगे तो उसे सदन की कार्यवाही से विलोपित कर दिया जाएगा। इन असंसदीय शब्दों में ऐसे बहुत से शब्द है जिन्हे पहले ही विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं ने असंसदीय घोषित कर रखा है। इसमें ऐसे भी राज्य है जहां गैर भाजपा सरकार है। जैसे छत्तीसगढ़ और झारखण्ड विधानसभा द्वारा जिन कुछ शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया था उसे अब संसद ने भी असंसदीय घोषित कर दिया है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों द्वार असंसदीय शब्दों को लेकर की जानी वाली सियासत समझ से परे है। सदन की यह कार्यवाही कोई नई नहीं है, 1954 से अब तक कई बार ऐसे सैकड़ो शब्दों वाक्यों और मुहावरों को असंसदीय घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर बवाल खड़ा कर रहे है और सरकार पर आरोप लगा रहे है जो राजनीति प्रेरित ही कहे जाएंगे। संसद की अपनी गरिमा होती है वहां सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जनहित से जुड़े मुद्दो को लेकर विचार विमर्श होता है, बहस होती है और कभी कभी नोक झोंक भी होती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपत्तिजनक असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाएं। माननीयों को सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। चुनावी सभाओं में भले ही ऐसे शब्द बोले जा सकते है लेकिन सदन के भीतर ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग सर्वथा अनुचित ही है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सदन में जो अनावश्यक हंगामा होता है उसकी एक बड़ी वजह ऐसे असंसदीय शब्द ही होते है जो किसी सदस्य द्वारा बोले जाते है तो उसे लेकर ही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होने लगता है जो कई बार तो कई कई दिनों तक चलता है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसे असंसदीय शब्दों को संसद की शब्दकोष से बाहर किया जाएं और इसे लेकर व्यर्थ का बवाल न खड़ा किया जाएं।

कविता

हमारे पास महंगाई का आसान इलाज

अमेरिका मंदी की चपेट में है। लगातार दो तिमाही ऐसी गुजर चुकी हैं, जब उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ती दिखाई दी है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यह चिंता और बढ़ जाती है, जब पता चलता है कि इस वक्त जो मंदी और भीषण संकट सामने दिख रहा है, वह काफी हद तक उन कदमों का नतीजा है, जो पिछले दो साल में इसी चक्कर में उठाए गए थे कि कहीं मंदी न आ जाए। बड़ा डर इस बात का है कि 70 के दशक की मंदी के साथ-साथ 2008 के आर्थिक संकट की जड़, यानी कर्ज का संकट भी फिर सिर उठा रहा है। ये दोनों अलग-अलग आर्थिक भूचाल ला चुके हैं। अब अगर एक साथ आ गए, तो क्या होगा, सोचा जा सकता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री नूरियल रौबिनी ने यही आशंका जताई है और कहा है कि ऐसा हुआ, तो अमेरिकी शेयर बाजार आधा हो सकता है। जाहिर है, अमेरिका को जुकाम की खबर से दुनिया के अनेक दूसरे बाजारों को बुखार चढ़ सकता है। सबसे बड़ी अनिश्चितता तो कच्चे तेल के बाजार में है। पिछले दिनों दो अलग-अलग शोध रिपोर्ट आई हैं, जो एकदम उलटी भविष्यवाणियां कर रही हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूक्रेन संकट की वजह से रूस ने तेल उत्पादन में बड़ी कटौती कर दी, जिसकी आशंका है, तो फिर एक बैरल कच्चे तेल का दाम 380 डॉलर तक उछल सकता है। यानी, महंगाई का महाविस्फोट। मगर दूसरी तरफ सिटीग्रुप का कहना है कि अगर दुनिया में मंदी आती दिख रही है, तो फिर कच्चे तेल की मांग बुरी तरह टूटेगी और इस साल के आखिर तक ही इसके दाम 65 डॉलर और अगले साल के अंत तक 45 डॉलर पर पहुंच सकता है। अब इनमें से क्या सही होगा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन पेट्रोलियम कारोबार पर नजर रखनेवाले मध्यमार्गी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कच्चे तेल का दाम अभी 100-125 डॉलर के बीच और लंबे दौर में 150 डॉलर तक जा सकता है। हालांकि, यह भी कोई राहत की खबर नहीं है। इतिहास में देखें, तो 1929 की महामंदी अब तक का सबसे डरावना आर्थिक संकट था। चार दिन में अमेरिकी शेयर बाजार 25 फीसदी टूट गया था और उसके बाद लगातार तीन साल तक गिरता ही रहा। अक्तूबर 1929 से जुलाई 1932 के बीच शेयर बाजार से 90 प्रतिशत रकम उड़नछू हो चुकी थी। इसी दौरान अमेरिका की जीडीपी 104 अरब डॉलर से गिरकर 57 अरब डॉलर रह गई। हड़बड़ी में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जो पाबंदियां लगाईं, उनका उलटा असर हुआ। दुनिया का कुल व्यापार एक तिहाई रह गया। तकलीफ पूरी दुनिया में इस हद तक फैली कि आखिरकार दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अब इस बात पर विद्वानों में मतभेद है कि मंदी खत्म होने की वजह दूसरे विश्व युद्ध का शुरू हो जाना था या फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नई नीति या 'न्यू डील'। हालांकि, रूजवेल्ट की नीतियों के शुरू होने और विश्व युद्ध छिड़ने के बीच नौ साल का फर्क था, पर दुनिया को और अमेरिका को इस महामंदी से निकलने में इससे ज्यादा ही वक्त लगा। रूजवेल्ट ने रोजगार पैदा करने, कामगारों के अधिकार सुनिश्चित करने और बेरोजगारों को सहारा देने की जो योजनाएं शुरू कीं, उनमें से कई आज तक चल रही हैं। उन्होंने कर्ज लेकर सरकारी खर्च बढ़ाया और अर्थव्यवस्था में जान लौटाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि, अब अगर मंदी और कर्ज संकट, दोनों एक साथ सिर उठाते दिख रहे हैं, तो सिर्फ अमेरिका और यूरोप के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी फिक्र की वजह है।

देश में फैलता नशे का जहरीला कारोबार

डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी

> देश में मुख्यतः एनडीपीसी एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें नशीले पदार्थ का सेवन करना, रखना, बेचना या उसका आयात निर्यात करना या फिर इस कारोबार में किसी की सहायता करना, सभी में गंभीर सजाओं के प्रावधान हैं। जुर्म के हिसाब से इसमें सजाएं तय है। इस कानून के अंतर्गत सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना त्वरित मुकदमा चलाने के लिए कर सकती है और जितने विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की जरूरत हो स्थापना कर सकती है। ऐसे अपराध जिनमें तीन वर्ष से अधिक का कारावास होता है, इनका ट्रायल विशेष न्यायालयों में होता है। इस प्रकार के अपराध के आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है जो ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है।

प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आदत उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने ही लगाई थी। इसका खुलासा एनसीबी ने किया है। इस बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग्स केस में रिया और उनके भाई शोविक चर्कवर्ती के खिलाफ चार्ज ड्राफ्ट किए हैं। जिसमें रिया और 34 अन्य आरोपियों पर हाई सोसायटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत को भी उसने ही नशे की लत लगाई थी। सुशांत सिंह की मौत का मामला कोई इकलौता मामला नहीं है। असल में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला भले ही न सुलझ पाया हो, लेकिन उनकी मौत के कारणों की पड़ताल के बीच बॉलीवुड में उधड़ी नशे की परतों ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। देश में नशे के कारोबारी तमाम कानूनी सख्तियों और नियमों के बावजूद इस काले कारोबार को लगातार फैला रहे हैं, जो चिंता का विषय है।

पिछले दिनों गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट पर पिछले तीन सालों में चैथी बड़ी नशे की खेप बरामद होना बेहद गंभीर मसला है। गुजरात एटीएस और पंजाब पुलिस समेत कुछ अन्य विभागों के साझा अभियान में यूएई से पंजाब मंगवाई गई 75 किलो हेरोइन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा करती है। अफगानिस्तान से निकालकर दूसरे देशों के जरिये भारत पहुंचाई जा रही बड़ी नशे की खेप दर्शाती है कि यह साजिश कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि कपड़े के थान की पाइपों में बेहद चतुराई से छिपाकर भारत लाई गई हेरोइन की खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक है। बताया जाता है कि जिस कंटेनर में यह खेप आई उसे पंजाब ले जाया जाना था और उसे मालेरकोटला के किसी कारोबारी ने मंगवाया था। आशंका है कि देश की थल सीमा पर सुरक्षा बलों की सख्ती से तस्करी न हो पाने के कारण तस्करों ने समुद्री रास्ते को नशे की तस्करी के लिये चुना है।

ड्रग वार डिस्टॉर्सन और वर्डोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में मादक पदार्थों का अवैध व्यापार सालाना लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट (एनडीडीटी), एम्स की वर्ष 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में ही लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं देश में शराब,अफीम और कैनबिस का सेवन करती हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश की लगभग 20 प्रतिशत आबादी (10-75 वर्ष के बीच की) विभिन्न प्रकार के नशे की चपेट में है। कुछ रिपोर्ट्स बच्चों के भी बड़ी संख्या में नशे की चपेट में आने की जानकारी देती हैं।

'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017' के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत अवैध ड्रग्स की वजह से हुई। इनमें से लगभग 22000 मौतें भारत में हुई। गंभीर बात यह है कि देश में पारंपरिक नशे जैसे कि तम्बाकू, शराब, अफीम के अलावा सिंथेटिक ड्रग्स स्मैक, हिरोइन, आइस, कोकीन, मारिजुआना आदि का उपयोग तेजी से बढ़ा है। आइये इस रिपोर्ट में जानते हैं देश और दुनिया में नशे के उपयोग और उसके गंभीर परिणामों के बारे में।

यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में पूरी दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कुल गांजा का 6 प्रतिशत यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। यही नहीं 2017 में यह मात्रा बढ़कर 353 टन हो गई। वहीं चरस की यदि बात की जाए तो 2017 में 3.2 टन चरस सीज की गई। नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि भारत में इसका सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है।

देश में मुख्यतः एनडीपीसी एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें नशीले पदार्थ का सेवन करना, रखना, बेचना या उसका आयात निर्यात करना या फिर इस कारोबार में किसी की सहायता करना, सभी में गंभीर सजाओं के प्रावधान हैं। जुर्म के हिसाब से इसमें सजाएं तय है। इस कानून के अंतर्गत सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना त्वरित मुकदमा चलाने के लिए कर सकती है और जितने विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की जरूरत हो स्थापना कर सकती है। ऐसे अपराध जिनमें तीन वर्ष से अधिक का कारावास होता है, इनका ट्रायल विशेष न्यायालयों में होता है। इस प्रकार के अपराध के आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक एजेंसी है जो ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है।

फरवरी 2019 में आई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट (एनडीडीटी) एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2018 के बीच देश में अफीम का उपयोग पांच गुना बढ़ चुका है। वहीं रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश में 90 लाख महिलाएं शराब, 40 लाख महिलाएं कैनबिस और 20 लाख महिलाएं अफीम का सेवन करती हैं। हर 16 में से एक महिला को शराब की इतनी लत लग चुकी है कि वो शराब के बिना रह नहीं सकती है। वहीं, पुरुषों में ये आंकड़ा 5 में से 1 है।

देश में नया बना मुंद्रा पोर्ट नशा तस्करों की पसंदीदा जगह बन रहा है। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में यहां से नशे की कई बड़ी खेप बरामद हो चुकी हैं। बीते साल सितंबर में मुंद्रा पोर्ट से तीन हजार किलो हेरोइन बरामद की थी, जिसे टेलकम पाउडर में छिपाकर रखा गया था। जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इक्कीस हजार करोड़ रुपये बतायी गई थी। इस बरामदगी से पूरा देश सकते में था। यही नहीं, इस साल मई में भी मुंद्रा बंदरगाह से ही एक कंटेनर से पांच सौ करोड़ रुपये की कोकीन बरामद की गई थी। अप्रैल में भी कांडला बंदरगाह के निकट से दो सौ किलो से अधिक हेरोइन जब्त की थी। ऐसी ही कई बड़ी बरामदगियां इन तटों से की गई जो दर्शाता है कि नशे के अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी किस पैमाने पर नशीले पदार्थ भारत में झोंक रहे हैं। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय नशे के कारोबार में तेजी आई है।

अपना डूबता देश छोड़ गए राष्ट्रपति

विवेक काटजू

> फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि श्रीलंका की राजनीति कौन सी करवट लेगी? लगता यही है कि विक्रमसिंघे और राजनीतिक वर्ग के कुछ सदस्यों ने तय किया है कि कानून-व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहिए, पर प्रदर्शनकारी शायद ही आसानी से घर लौटने को तैयार होंगे। उन्होंने सुरक्षा बलों के प्रयासों के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय व सरकारी टेलीविजन चैनल पर कब्जा कर लिया है। अगर उनके खिलाफ सख्ती बरती गई, तो यह प्रदर्शन हिंसक हो सकता है, जिससे समस्या और गंभीर हो जाएगी। लिहाजा, बेहतर होगा कि गोटबाया और रनिल इस्तीफा दें, राजपक्षे परिवार देश छोड़ दे और श्रीलंका में एक ऐसी अंतरिम सरकार बने, जिसमें सबका भरोसा हो। अगर गोटबाया इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वहां की सियासी जमात को संविधानिक दायरे के बाहर के कदम सोचने पड़ेंगे और नया राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री चुनना होगा।

श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता गहरा गई है। बुधवार को अहले सुबह राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़ मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। हालांकि, 9 जुलाई को उन्होंने अपने अवाम को यह आश्वासन दिया था कि वह 13 जुलाई को राष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। संविधान के अनुच्छेद 37(1) का सहारा लेते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया, जिसका अर्थ है कि रनिल राष्ट्रपति की जिम्मेदारी तो निभाएंगे, पर गोटबाया राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। बुधवार की सुबह ही रनिल विक्रमसिंघे ने बतौर प्रधानमंत्री देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और पश्चिम प्रांत में, जहां कोलंबो है, कर्फ्यू लगा दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों को स्थिति संभालने की हिदायत दी और जरूरी होने पर उपद्रवियों को हिरासत में लेने को भी कहा।

गोटबाया के देश छोड़ने की खबर जैसे ही फैली, श्रीलंका के नौजवान प्रदर्शनकारी भड़क गए। वे मार्च से ही गोटबाया के पद छोड़ने की मांग के साथ राष्ट्रपति निवास के सामने धरना दिए बैठे थे। सत्ता के खिलाफ यह आक्रोश सिर्फ प्रदर्शनकारियों तक सीमित नहीं है, श्रीलंका की आम जनता भी महीनों से आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही है। यह असंभव तो लगता है, पर श्रीलंका की सरकार ने, जो राजपक्षे परिवार का ही विस्तार थी, देश की अर्थव्यवस्था को इस कदर चोट पहुंचाई कि अपनी नियुक्ति के चंद दिनों बाद ही मई में प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को संसद में यह मानना पड़ा कि अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई है और सरकार का दिवाला निकल गया है। महीनों से सरकार के पास विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण देश में ऊर्जा, खाद्यान्न, यहां तक कि दवाइयों तक का आयात असंभव हो गया था। निचले व मध्य वर्ग ने अर्थव्यवस्था के नष्ट होने की मार सही, जिसने इस मांग को जन्म दिया कि न सिर्फ राष्ट्रपति अपना पद छोड़ें, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर राजपक्षे परिवार का प्रभाव खत्म हो। वाकई, आधुनिक इतिहास में शायद ही किसी लोकतंत्र में परिवारवाद का ऐसा उदाहरण दिखता है। यहां एक भाई राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तो दो अन्य भाई मंत्रिमंडल के अहम सदस्य थे। इस कारण सरकार के हर अंग पर राजपक्षे परिवार का ही नियंत्रण था। दक्षिण एशिया में श्रीलंका की गिनती एक सफल, संपन्न देश में होती रही है, लेकिन राजपक्षे परिवार की गैर-जिम्मेदारी की वजह से वह आज इस स्थिति में आ पहुंचा है कि न जनता के पास ईंधन है, न पर्याप्त खाद्यान्न और न दवाइयां। बेशक, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर थी और कुछ कोरोना महामारी ने और कुछ उससे पूर्व की आतंकी घटनाओं ने इसे प्रभावित किया, पर राजपक्षे परिवार की नीतियों ने देश का काफी नुकसान किया है। यहां तक कि रासायनिक खाद का निर्यात बंद करके सरकार ने खेती-किसानी की भी कमर तोड़ दी।

प्रदर्शनकारी मूलतः नौजवान हैं, जिनमें से ज्यादातर संख्या विद्यार्थियों की है। सिंहली, तमिल, मुसलमान, सभी तबके के लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि, मौजूदा राजनीतिक समस्या का कोई संबंध यहां की अंतर-जातीय रिश्तों से नहीं है, बल्कि यह विशेषकर बहुसंख्यक सिंहली जाति का अपने नेताओं से नाराजगी से जुड़ा मसला है। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका की सरकार और सेना ने 2009 में तमिल टाइगर ईलम को कुचल दिया था। इस कारण महिंदा और उनके भाई गोटबाया (तब रक्षा सचिव थे) सिंहली जाति के हीरो बन गए थे। 2019 में गोटबाया ने शानदार तरीके से राष्ट्रपति चुनाव जीता भी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन उनको यूं देश छोड़कर भागना होगा। इस घटनाक्रम का सबक यही है कि नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, तो जनता उसे बर्दाश्त नहीं करती।

फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि श्रीलंका की राजनीति कौन सी करवट लेगी? लगता यही है कि विक्रमसिंघे और राजनीतिक वर्ग के कुछ सदस्यों ने तय किया है कि कानून-व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहिए, पर प्रदर्शनकारी शायद ही आसानी से घर लौटने को तैयार होंगे। उन्होंने सुरक्षा बलों के प्रयासों के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय व सरकारी टेलीविजन चैनल पर कब्जा कर लिया है। अगर उनके खिलाफ सख्ती बरती गई, तो यह प्रदर्शन हिंसक हो सकता है, जिससे समस्या और गंभीर हो जाएगी। लिहाजा, बेहतर होगा कि गोटबाया और रनिल इस्तीफा दें, राजपक्षे परिवार देश छोड़ दे और श्रीलंका में एक ऐसी अंतरिम सरकार बने, जिसमें सबका भरोसा हो। अगर गोटबाया इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वहां की सियासी जमात को संविधानिक दायरे के बाहर के कदम सोचने पड़ेंगे और नया राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री चुनना होगा। चूंकि मौजूदा स्थिति कमजोर आर्थिकी से जुड़ी है, इसलिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना लाजिमी है। अगर यहां राजनीतिक स्थिरता कायम होती है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं सहायता के लिए आगे आ सकती हैं।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

जीने की कला

जीने की कला सिखाते हैं शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते हैं शिक्षक, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है. जिसके प्रति मन में सम्मान होता है जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है।

– मोना सेन गुप्ता

हर रोज बिखर रहा

हर रोज बिखर रहा हूँ फिर भी ठहर रहा हूँ खामोशी सा छाया हैं आलम फिर भी निखर रहा हूँ कई ओर से बस शोर ही हैं फिर भी मन अचेतन कि ओर हैं हर रोज बिखर रहा हूँ किया जो सृजन वो निखरा कहाँ मन भी उथल पुथल कि दिवारों में खुद को ढूंढ रहा है। – सोनू कुमार आकाश

खास पाती | सुनो देव क्या मैं कभी किसी

सुनो देव क्या मैं क़भी किसी पहर तुम्हें महसूस होती हूँ? बस यूंही पूछने का मन न जाने क्यों और हैं न.. एक अजीब सा प्रश्न? अक्सर तैत्रमैश सुरेखा के वक़्त मैं तुम्हें सबसे ज्यादा याद करती हूँ सुना है इस वक़्त किसीको सबसे ज़्यादा याद करो तो वह भी उसे महसूस करता हैं पता नही यह कितना सच और कितना झूठ बस यह सच है कि मैं तुम्हें उस वक़्त बेहद याद करती हूँपता है इस वक़्त मैं दुनियां के तमामउलझनों से दूर अपनी दुनिया मे होती हूँहर परिधि ,हर रीत ,हर रिवाज़ से कोसों दूर मन की लांघी उन हर बेलगाम हसरतों और रस्मों के साथ बस सिर्फ़ तुम संग होती हूँ उस पहर तो सुनो न सुनो न.. झूठ ही सही बस हामी भर देना नही चाहती मेरे मासूम इश्क़ पर खामखाँ इलज़ाम लगे हो सकें तो रख देना उस पहर का मान जिसमें सिर्फ़ तुम होते हो उस सच्चे पहर में जिसे तैत्रमैश कहते हैं। - सुरेखा अग्रवाल

अभी तल्खियां क्यूँ दिखाता है

अभी तल्खियां क्यूँ दिखाता है सूरज, सवेरे के सिर पर है सेहरा उसी का।। बिना बात के क्यूँ जलाता है सूरज, घिरा बादलों से क्यूँ पहरा उसी का।। हवा मनचली सी चली कुछ ऐसे , गिरा रुख पर पर्दा क्यूँ ठहरा उसी का।। अभी साँझ की जरा होने दो दस्तक, कि टूटेगा कैसा गरूरा उसी का।। - सविता वर्मा 'ग़ज़ल'

आज फिर जब मैंने हाल सुनाया

आज फिर जब मैंने हाल सुनाया सूरज को अपनी उदासी का देखकर मेरी ओर इस बार वह मुस्कुरा उठा डूब जाता हूँ मैं भी तो हर रोज शाम होते ही अंधेरों में ओह! समझ गई थी मै उसका इशारा सीखना ही होगा अब मुझे भी निकलना इन उदासियों से तैरकर मगर। - प्रेरणा गुप्ता

जो भी करना है तुमको समुचित

जो भी करना है तुमको समुचित करो काम अच्छा करो, मत अनुचित करो प्यार करना है तुमको करो प्यार से जिससे करने लगो उसको समुचित करो महके जीवन तुम्हारा हरिक पल सदा कर्म जीवन मे ऐसे ही निश्चित करो प्यार अधिकार बेशक तुम्हारा भी है तुम कभी इससे खुद को न वंचित करो झूठों को चलने दो झूठ की राह पर 'मित्र' रस्ता अलग अपना निश्चित करो। - मित्र ग़ाज़ियाबादी

हसरतों ने सिर उठा रक्खा है क्यों

हसरतों ने सिर उठा रक्खा है क्यों साबिक़ा ग़म से बढ़ा रक्खा है क्यों इश्क़ करना ठीक है लेकिन मियां दाव पर ख़ुद को लगा रक्खा है क्यों पूछता है हर कोई इक ही सवाल ख़्वाब आँखों में सजा रक्खा है क्यों काबिले बरदाश्त से बाहर है ये पहरा सांसों पर बिठा रक्खा है क्यों ये बता इस पत्थरों के शहर में आइना ख़ुद को बना रक्खा है क्यों हो सके तो शाइरी में ढाल दे दर्द सीने में दबा रक्खा है क्यों नीयते-बद है ज़माना तो 'अजय' इस से तूने दिल लगा रक्खा है क्यों।

– अजय अज्ञात

अपराध सिर चढ़कर बोल रहा

अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है, सुरक्षा-व्यवस्था की पोल खोल रहा है। चोर-उचक्के दे रहे सरेआम चुनौती, पुलिस जवानों को घेर रही बुढ़ौती। सरेराह लुटेरे मार रहे चाकू, घरों को निशाने पर ले रहे डाकू। एक मोबाइल के लिए भी कर रहे खून, सुबह-शाम हो या ऑफ्टर नून। जनता का जीवन चल रहा भगवान भरोसे, अपराधियों को कौन हैं पाले-पोसे? कब बदलेंगे हालात या फिर यूं ही पीड़ित मानवता सहती रहेगी आघात? कुछ करो सरकार, जनता सह रही कष्ट अपार!

–राजकुमार धर द्विवेदी

QUIZ TIME

1) उड़ते हुए हंसों के समूह का सामूहिक नाम क्या है? (स्केन / टूर)

2) प्रशिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य की नियुक्ति होने से पहले पांडवों एवं कौरवों को सैन्य कुशलता किसने सिखाई थी?

3) 13वीं शताब्दी के किस शासक ने चीन में युआन वंश की स्थापना की एवं अपनी राजधानी पीकिंग बनाई?

4) एंडीज पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर माउंट एकोंकागुआ है। (सही / गलत)

5) ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और संस्कृत के विद्वान का नाम बताएं?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) स्केन (2) कृपाचार्य (3) कुबलई खान (4) सही (5) डॉ. सत्यव्रत शास्त्री

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1611-अजमेर के राजा और मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जयसिंह का जन्म। 1840- शिक्षाविद, ग्रंथकार और सांख्यिकीविद अंग्रेज अधिकारी विलियम विलसन हन्टर का जन्म 1883- प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी जमशेद जी जीज भाई का जन्म। 1903- भारत रत्न सम्मानित सेनानी, राजनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के.कामराज का जन्म। 1904- अमेरिका के लॉस एंजेलिस में पहले बौद्ध मंदिर का निर्माण। 1909- आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का जन्म। 1909- महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य और बम्बई विधानसभा के सदस्य गणपत राव देवजी तापसे का जन्म। 1910- एमिल क्रेपलिन ने एलॉइस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी का नाम दिया। 1912- भारतीय सेना के उच्च अधिकारी मोहम्मद उस्मान का जन्म।1916- दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग शुरू हुई। 1925- प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और रंगमंच के सिद्धांतकार बादल सरकार का जन्म। 1926- बॉम्बे (अब मुंबई) में पहली मोटरबस सेवा की शुरुआत। 1937- हिंदी के जाने-माने पत्रकार प्रभास जोशी का जन्म। 1962- अल्जीरिया अरब लीग का हिस्सा बना था। 1967- मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गन्धर्व का निधन। 1984- पंजाब को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। 2000-सिएरा लियोन में सैन्य कार्यवाही द्वारा सभी भारतीय सैनिक बंधक मुक्त कराए गए।

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री का सहायक आरक्षकों के हित में बड़ा निर्णय

- **छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग का होगा सृजन**
- **सहायक आरक्षकों का डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स के आरक्षकों के पदों पर होगा संविलियन**

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कार्यरत सहायक आरक्षकों को बड़ी सौगात मिली। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। डाईंग कैडर के सहायक आरक्षकों का सृजित की जाने वाली डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के आरक्षकों के पदों पर संविलियन होगा। कैबिनेट के इस निर्णय से सहायक आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी और उन्हें नियमित आरक्षकों की भांति वेतनमान मिलेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य में नक्सली उन्मूलन अभियान में सहयोग दे रहे

सहायक आरक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य में नक्सल विरोधी अभियान को गति मिलेगी।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सहायक आरक्षक के उपलब्ध 3096 पदों को समाप्त कर उनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग निर्मित करते हुए 3736 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इनमें से डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग में आरक्षक के 3136 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों पर डाईंग कैडर में उपलब्ध सहायक आरक्षक ही संविलियन होंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 3096 सहायक आरक्षक पदस्थ हैं, जो राज्य के घोर नक्सली परिक्षेत्र बस्तर के घने जंगलों के अलावा जिला गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुन्द, धमतरी, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और कोरिया में पुलिस के अन्य सशस्त्र बलों के साथ एक समान दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथा नक्सली उन्मूलन अभियान में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रदेश में कार्यरत सहायक आरक्षकगण लगभग पुलिस विभाग के नियमित शासकीय सेवक आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की भांति सेवायें दे रहे हैं, किन्तु राज्य के नियमित कर्मचारियों की भांति समान कार्य के बदले समान वेतनमान प्राप्त नहीं होने एवं अत्यंत ही कम वेतन प्राप्त होने से विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी व्याप्त विसंगति को दूर करने तथा प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित आरक्षकों की भांति वेतनमान मिल सकेगा।

डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन के नवीन प्रस्ताव अनुसार सहायक आरक्षक के उपलब्ध 3096 पदों को समाप्त कर उसके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग निर्मित करते हुए आरक्षक के 3136, प्रधान आरक्षक के 460, सहायक उप निरीक्षक के 80, उप निरीक्षक के 40 एवं निरीक्षक 20 कुल 3736 नवीन पद सृजित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछुआरों को बड़ी सौगात

राज्य के मछुआरों को दिया जाएगा उत्पादकता का बोनस

- **नवीन नई मछली पालन नीति को केबिनेट में दी मंजूरी**

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित केबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन मछली पालन नीति की मंजूर की गई। नवीन मछली पालन का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध सम्पूर्ण जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाते हुए मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना है। नवीन मछली पालन नीति में राज्य के मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उत्पादकता बोनस की यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ को जलाशयों एवं बैराज की नीलाम से प्राप्त होने वाली राशि की 25 प्रतिशत होगी। राज्य में अलंकारिक मछली पालन एवं गम्बुसिया मछली पालन को भी प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान नई नीति में किया गया है।

नवीन मछली पालन नीति में 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाबों एवं जलाशयों को ग्राम पंचायत द्वारा

नियमानुसार 10 वर्षीय पट्टे प्रदान किया जाएगा। पंचायत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाबों एवं जलाशयों को मछली पालन के लिए खुली निविदा आमंत्रित कर 10 वर्ष के लिए पट्टे पर आबंटित करने का अधिकार जनपद पंचायत को, 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर के तालाबों एवं जलाशयों को जिला पंचायत द्वारा, 200 से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर तक के जलाशय एवं बैराज को मछली पालन विभाग द्वारा पट्टे पर आबंटित किया जाएगा। 1000 हेक्टेयर से अधिक के जल क्षेत्र वाले जलाशय एवं बैराज छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के आधिपत्य में रहेंगे। मत्स्य महासंघ द्वारा जलाशय एवं बैराज को पट्टे पर दिए जाने हेतु खुली निविदा से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत राशि मछली पालन विभाग के राजस्व खाते में देय होगी। शेष 50 प्रतिशत का 25 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय स्तर पर मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों को उत्पादकता बोनस के रूप में दिया जाएगा।

नवीन मछली पालन नीति के प्रावधान के अनुसार राज्य में नदियों पर बने एनिकटों एवं उन पर स्थित डीप पूल जो 20 हेक्टेयर से अधिक के हैं, उन्हें संचालक मछली पालन द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए मछुआ समूह, मत्स्य सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह, मछुआ व्यक्ति को पट्टे पर नियमानुसार दिया जाएगा। इसके लिए एनिकटों एवं दहो के आसपास के ग्रामीण, जो मत्स्याखेट से जीवन यापन करते हो, उन मछुआरों का नदी एवं दहवार सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। नदियों एवं 20 हेक्टेयर से कम जल क्षेत्र वाले एनिकट व डीप पूल में निःशुल्क मत्स्याखेट की व्यवस्था यथावत रहेगी। नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाले समस्त जल क्षेत्र नगरीय निकाय के अंतर्गत रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय निकायों के तालाबों एवं जलाशयों को शासन की नीति के अनुसार पट्टे पर आबंटित किया जाएगा।

नवीन मछली पालन नीति के अनुसार 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के जलाशयों/तालाबों का आबंटन मछुआ समूह, मत्स्य सहकारी समिति एवं आजीविका मिशन के तहत गठित स्थानीय महिला समूह, मछुआ व्यक्ति व मत्स्य कृषक को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मछली पालन में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर व्यक्ति एवं बेरोजगार युवा मछुआ व्यक्ति व मत्स्य कृषक माने जाएंगे। गौठानों के लिए निर्मित तालाबों में मछली पालन का कार्य गौठान समिति या उनके द्वारा चिन्हित समूह करेगा। पंचायतों द्वारा लीज राशि में बढ़ोतरी प्रति दो वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारण किया जाएगा, जिसका उपयोग जनहित के विकास कार्यो में किया जाएगा।

नवीन मछली पालन नीति में आदिवासी सहकारी समिति में गैर आदिवासी सदस्यों का प्रतिशत 33 से घटाकर 30 करने के प्रावधान के साथ ही अनुसूचित जाति अधिसूचित क्षेत्र में मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। समिति के उपाध्यक्ष पद हेतु मछुआ जाति के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक गांव में कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि, जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कम स्तर के न हो, के द्वारा निस्तारी तालाब का चिन्हांकन किया जाएगा। चिन्हांकित निस्तारी तालाब में मत्स्य पालन का कार्य पूर्णता प्रतिबंधित होगा, ताकि ग्रामीणों का निस्तार में किसी भी तरह की असुविधा न हो।

नवीन मछली पालन नीति में मछली बीज की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में मत्स्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम बनाया जाएगा, जो मत्स्य बीज के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा एवं बीज उत्पादन तकनीक की जानकारी देगा। मत्स्य बीज विक्रय करने वालो एवं उत्पादकों को मछली पालन विभाग में पंजीयन कराना एवं विभाग से लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक हेचरी एवं संवर्धन प्रक्षेत्रों के निर्माण को प्रोत्साहन एवं शासन की नीति के अनुरूप अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में स्थित अनुपयोगी एवं बंद पड़े खदानों को विकसित कर मछली पालन हेतु स्थानीय बेरोजगारों को पट्टे पर दिया जाएगा। बड़े खदानों में मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु केज स्थापना की पहल की जाएगी। सिंचाई जलाशयों में केज कल्चर योजना के क्रियान्वयन के लिए मछली पालन विभाग पूर्ण रूप से अधिकृत होगा, इसके लिए सिंचाई जलाशय को दीर्घ अवधि के लिए विभाग लीज पर दे सकेगा।

सस्टेनेबल माइन मैनेजमेंट के लिए अल्ट्राटेक की 10 खदानों को मिली 5 स्टार रेटिंग

रायपुर। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की 10 लाइमस्टोन (चूना) खदानों को सस्टेनेबल माइन मैनेजमेंट के लिए 5-सितारा रेटिंग प्रदान की गई है। यह रेटिंग मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस व इंडियन ब्यूरो ऑफ़ माइंस (भारतीय खनन मंत्रालय व खान ब्यूरो) द्वारा प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के लिए प्रदान की गई इस रेटिंग में कुल दस 5-स्टार रेटिंग पुरस्कार दिए गए। उल्लेखनीय है कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, भारत की अग्रणी सीमेंट व रेडी-मिक्स कॉन्क्रीट कम्पनी है।

5-स्टार रेटिंग पाने वाली अल्ट्राटेक माइंस में से 2 माइंस छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। इनमें बैकुंठ सीमेंट वर्क्स यूनिट व रवां/रावां सीमेंट वर्क्स यूनिट शामिल हैं जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट स्थित हैं। सीधी सीमेंट वर्क्स व रवां/रावां सीमेंट वर्क्स दोनों ही अल्ट्रा टेक सीमेंट की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एकीकृत इकाइयां हैं।

अल्ट्राटेक को यह सम्मान दिल्ली में 12 जुलाई 2022 को 'माइंस एन्ड मिनरल्स' (एनसीएमएम) विषय पर आयोजित 6 वे राष्ट्रीय कॉन्क्लेव पर आयोजित समारोह में प्रदान किये गए। 5-स्टार रेटिंग के प्रमाणपत्र एवं ट्राफि या प्रह्लाद जोशी, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खदान मंत्री और रावसाहेब पाटिल दानवे, राज्य मंत्री रेल, कोयला और खदान द्वारा पुरस्कृत माइंस के प्रतिनिधियों को प्रदान किये गए।

रायपुर जिले में चलेगा 'हर घर हरियाली' अभियान

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर जिले में हरियाली प्रसार करने के लिए पहले सावन सोमवार 18 जुलाई को वृक्षारोपण महा अभियान 'हर घर हरियाली' के तहत घर-घर पौधों का वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से इस

वृक्षारोपण महा अभियान में अपेक्षा की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में शामिल हो। प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाएं और पेड़ बनने तक सुरक्षा की जवाबदारी स्वयं ले। प्रकति की सुदंरता एवं संरक्षण के लिए प्रत्येक आदमी को वृक्षारोपण करना चाहिए। वन और उद्यानिकी विभाग ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालय तक माँग के अनुसार संख्या में पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे। इस अभियान के तहत उपयोगिता और स्थान के अनुसार पौधे लगाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों, स्कूलों, उद्योग, आंगनबाड़ी केंद्रों, रिहायशी इलाकों में फलदार-छायादार पेड़ लगेंगे तो सड़क किनारे और डिवाइडर्स पर प्रदूषण शोषक पेड़ लगाए जाएँगे। इस अभियान में पूरे जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पेड़ लगाया जाएगा। इस वृक्षारोपण महा अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास स्थान में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण करेंगे। इस महाभियान में प्रदेश के जनप्रातिनिधिगण, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी सहित आमजनो की भी सक्रिय भूमिका होगी। शासकीय कार्यालयों में पौधों की उपलब्धता के लिए वितरण स्टाल बनेंगे। आमजन इन दफ़्तरों से पौधे लेकर अपने घरों और चिन्हांकित ज़मीन पर लगा सकेंगे। वृक्षारोपण के लिए जन जागरूकता और पेड़ लगाने के लिए पार्षदों, सरपंचों सहित जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी संस्थाओंकी भी मदद ली जाएगी। सभी सरकारी कार्यालयों में भी उपलब्ध जमीन पर पौधे लगाए जाएँगें।

बच्चों की तरह ही पौधों का भी बनेगा सुपोषण कार्ड, एक ही कार्ड में दर्ज होंगे दोनों के नाम

- **परिवार के सदस्यों के नाम पर होगा पौधों का नामकरण, घर में तैयार होगी सुपोषण बाड़ी**

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला प्रदेश और संभवतः देश का पहला जिला बन गया है जिसने बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए पौधों को भी एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने की पहल की है। इस नवाचार के तहत कुपोषित बच्चों के सुपोषण कार्ड में ही अब उसके यहां लगाए जा रहे मुनगे और पपीता के पौधों का भी नाम दर्ज होगा और इन पौधों के सुपोषण का आंकड़ा भी नियमित अंतराल में बच्चे की ग्रोथ के साथ दर्ज किया जाता रहेगा।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की रहने वाली अंशिका की उम्र 03 साल 09 महीने है, लेकिन उसका वजन सिर्फ 10 किलो 800 ग्राम है। जबकि डाक्टर्स के अनुसार अंशिका की उम्र की बच्चियों का वजन 14 से 16 किलोग्राम तक होना चाहिए। दरअसल अंशिका कुपोषण का शिकार है और उसके माता पिता इस बात से चिंतित थे कि उनकी बेटी का पोषण स्तर कैसे बढ़ेगा। अंशिका और उसके परिवार को ये न लगे कि उनकी बेटी बीमार है या फिर उसका विकास सही से नहीं हो रहा है इसके लिए कोरिया जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की शुरूआत की है। अंशिका के घर में ही पपीता और मुनगे का पौधा लगाया गया है । इन पौधों को परिवार के सदस्यों के नाम पर नामकरण किया गया है ताकि ये पौधे परिवार के सदस्य बन जाएं और बच्चे के साथ ही इनकी भी देखभाल हो। खास बात ये है कि अंशिका के लिए बने सुपोषण कार्ड में इन पौधों का विवरण भी शामिल किया गया है और अंशिका के पोषण परिवर्तन के साथ ही इन पौधों के भी परिवर्तन की जानकारी इस कार्ड में एक साथ भरी जाएगी।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं एवं निर्देशों पर तत्परता से अमल हो : मुख्य सचिव

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के भ्रमण, भेंट मुलाकात और विभिन्न विभागीय बैठकों में दिए गए निर्देशों एवं उनके द्वारा की गई घोषणा पर त्वरित अमल सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से मुख्यमंत्री के निर्देशो, घोषणाओं पर हुई प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश के संभागायुक्त एवं कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक में कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश

दिए है कि योजनाओं का लाभ राज्य के नागरिकों को मिले इसके लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिलों में भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणाओं और दिए निर्देशों पर कलेक्टर स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्यवाही करें तथा जो कार्य राज्य स्तर पर किए जा सकते है उसका शीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर भेजे। मुख्य सचिव ने संभागायुक्तों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र के जिलों में कार्ययोजना के तहत मुख्यमंत्री की घोषणाओं और निर्देशों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके लिए वे कलेक्टरों से लगातार समन्वय करें। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि प्रदेश की गर्भवती माताओं में एनिमिया की कमी लाने के लिए महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक समन्वय के साथ कार्य करें। जिससे महिलाओं में एनीमिया को दूर किया जा सके।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत गर्म भोजन प्रदाय करने की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए वित्त विभाग के प्रमुख अधिकारियों को सभी जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में राम वन गमन पथ के सभी कार्य पूर्ण कराने के लिए बजट उपलब्धता एवं विभिन्न विभागों की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पर्यटन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने गौठानों के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर अन्य हर्बल सामग्री तैयार करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण करने के लिए रोड साईड गौठानों आवर्ती चराई योजना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के आस-पास फलदार वृक्ष लगाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए है। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को शहरों में कृष्ण कुंज में वृक्षारोपण के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए।

नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में धनवंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर दवाईयां प्रदान की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव ने बताया कि इन स्टोरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की करोड़ों की बचत हुई है।

प्रदेश की सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में श्रम मित्र संयोजक मनोनित

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के फायदे की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदेश की सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में श्रम विभाग द्वारा श्रम मित्र संयोजक मनोनित किए गए है। श्रम मित्र संयोजक श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में निर्माण, असंगठित श्रमिकों का पंजीयन तथा पंजीकृत श्रमिकों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने श्रमिकों के हितों के लिए संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेंगे तथा शासन द्वारा समय-समय पर श्रमिक हित में लिए गए निर्णयों से श्रमिकों को अवगत कराएंगे।

न्यायालय तहसीलदार खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र./202206114600090
ब/121 वर्ष 2021-22
ग्राम-रायखेड़ा प.ह.नं. 52

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रेषित कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा खरोरा के द्वारा नवीन सहकारी समिति ग्राम रायखेड़ा प.ह.नं. 52 में स्थित भूमि ख.नं. 133/7 रकबा 0.81 हे. भूमि को खाद गोदाम निर्माण किए जाने हेतु भूमि आबंटन किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 18/07/2022 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र./202206110600034
ब/121 वर्ष 2021-22
ग्राम-बरतोरी प.ह.नं. 36

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रेषित कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा खरोरा के द्वारा नवीन सहकारी समिति ग्राम बरतोरी प.ह.नं. 36 में स्थित भूमि ख.नं. 112/1 रकबा 0.61 हे. भूमि को खाद गोदाम निर्माण किए जाने हेतु भूमि आबंटन किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 18/07/2022 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र./202107114600087
ब/121 वर्ष 2021-22
ग्राम- बुड़ेरा प.ह.नं. 47

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रेषित कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा खरोरा के द्वारा नवीन सहकारी समिति ग्राम बुड़ेरा प.ह.नं. 47 में स्थित भूमि ख.नं. 418/1 रकबा 1.246 हे. भूमि को खाद गोदाम निर्माण किए जाने हेतु भूमि आबंटन किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 18/07/2022 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र./202206114600088
ब/121 वर्ष 2021-22
ग्राम-छेड़िया प.ह.नं. 30

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रेषित कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा खरोरा के द्वारा नवीन सहकारी समिति ग्राम छड़िया प.ह.नं. 30 में स्थित भूमि ख.नं. 674/1 रकबा 1.620 हे. भूमि को खाद गोदाम निर्माण किए जाने हेतु भूमि आबंटन किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 18/07/2022 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र./202206114600089
ब/121 वर्ष 2021-22
ग्राम-मांठ प.ह.नं. 32

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रेषित कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा खरोरा के द्वारा नवीन सहकारी समिति ग्राम मांठ प.ह.नं. 32 में स्थित भूमि ख.नं. 651/1 रकबा 1.202 हे. भूमि को खाद गोदाम निर्माण किए जाने हेतु भूमि आबंटन किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 18/07/2022 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र./202206114600032
ब/121 वर्ष 2021-22
ग्राम- असौंदा प.ह.नं. 41

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रेषित कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा खरोरा के द्वारा नवीन सहकारी समिति ग्राम असौंदा प.ह.नं. 34 में स्थित भूमि ख.नं. 196/24 रकबा 0.729 हे. भूमि को खाद गोदाम निर्माण किए जाने हेतु भूमि आबंटन किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 18/07/2022 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र./202206114600033
ब/121 वर्ष 2021-22
ग्राम- अड़सेना प.ह.नं. 40

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रेषित कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा खरोरा के द्वारा नवीन सहकारी समिति ग्राम अड़सेना प.ह.नं. 40 में स्थित भूमि ख.नं. 1139/1 रकबा 1.417 हे. भूमि को खाद गोदाम निर्माण किए जाने हेतु भूमि आबंटन किए जाने की मांग किया है।

तत्संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वे पेशी दिनांक 18/07/2022 को न्यायालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ईश्तहार जारी किया गया।

सील — तहसीलदार, खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शंकर लाल गजपाल पिता स्व. अंकलहा राम निवासी ग्राम डुन्डेरा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम डुन्डेरा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1149 रकबा 0.03 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार गंगाबाई, सुनिता बाई की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 25/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11/7/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

महिला समृद्धि बाजार में दुकानों का आबंटन, दावा आपत्ति का आज आखिरी दिन

दुर्ग (नव प्रदेश)। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत निगम बाजार विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार सिविल लाइन स्थित दुकानों के लिए दिनांक 11 मार्च 2022 से 10 अप्रेल 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया।प्राप्त आवेदनों का पात्र/अपात्र सूची दावा आपत्ति हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति दर्ज करवानी हो तो दिनांक 25 जुलाई 2022 तक 15 दिवस के भीतर कार्यालयीन अवधि में लिखित रूप से दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।निर्धारित अवधि पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी।

1 सितंबर से शुरू होगा स्वच्छता पखवाड़ा

दुर्ग (नव प्रदेश)। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाडा कार्यक्रम जिले के विद्यालय में 01 सितम्बर से 15 सितम्बर तक आयोजन किया जाएगा। कोविड 19 का खतरा अभी भी हमारे जीवन में है, इसलिए कोविड-19 के बारे में जागरूकता के आधार पर, पूरे प्रोटोकाल और उपयुक्त व्यवहार के साथ स्वच्छता पखवाडा कार्यक्रम मनाया जाएगा। स्वच्छता पखवाडा के प्रथम सप्ताह में स्कूलों में 'स्वच्छता शपथ' का आयोजन किया जाएगा। बैठक का आयोजन एसएमसी/एसएमडीसी/पालकों के बीच किया जाएगा ताकि उन्हें मास्क के उपयोग, हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाना इत्यादि के महत्व को समझाया जा सके। शिक्षकों द्वारा पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं का त्वरित मूल्याकंन एवं सुविधाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए योजना तैयार किया जाएगा। बच्चों के द्वारा पेंटिग, निबंध, क्विज, स्लोगन, राइटिंग, मॉडल प्रतियोगिता करवाना जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता पर आधारित हो सभी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री जैसे प्रयुत्त मास्क, टूटे हुए फर्नीचर, अनुपयोगी उपकरण आदि को प्रक्रिया अनुसार खत्म किया जाना एवं स्कूलों / संस्थानों के परिसर से पूरी तरह से हटाना। स्कूल परिसर के भीतर प्लास्टिक के एकल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना । परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों के बीच पखवाडा की थीम का प्रचार प्रसार करना। एमओसी द्वारा साझा की गई आइईसी सामग्री को स्कूलों की दीवारों और वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। पखवाडा के पालन को उजागर करने के लिए इलेक्ट्रानिक बैनर / फ्लेक्स बनाकर परिसर में लगाना। 01 सितम्बर से 15 सितम्बर 2022 के दौरान स्वच्छता पखवाडा में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों शामिल होकर इस स्वच्छता पखवाडा को सफल बनायें।

एसपी-2 में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन

भिलाई (नव प्रदेश)। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के एसपी-2 विभाग में विभागीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक (सिंटरिंग प्लांट्स) अनूप कुमार दत्त उपस्थित थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक (प्रचालन) जगेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (प्रचालन) उमेश अवधिया, महाप्रबंधक (विद्युत) राहुल बिजुरकर, महाप्रबंधक (प्रचालन) एवं हिंदी समन्वय अधिकारी, राजेश देवांगन, सहायक प्रबंधक (संपर्क व प्रशासन-राजभाषा) जितेन्द्र दास मानिकपुरी तथा अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे। मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक (सिंटरिंग प्लांट्स) अनूप कुमार दत्त ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी एक आम बोलचाल की भाषा है, इसमें जो बोलते हैं वही लिखते-पढ़ते हैं। सिंटरिंग विभाग में हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं तथा संपूर्ण कार्य हिंदी में किया जाता है। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान पर आधारित हिंदी भाषा में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर प्रतिभागियों को विजेता घोषित कर पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रथम पुरस्कार रमाकांत ठाकुर, द्वितीय पुरस्कार जितेन्द्र पाण्डेय, ओसीटी तथा तृतीय पुरस्कार राजेन्द्र कुमार मास्टर टेक्नीशियन ने प्राप्त किया।

श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ 15 से 24 जुलाई तक

आज से बहेगी शिव भक्ति की धारा, दस दिनों तक भक्ति का संगम

नव प्रदेश संवाददाता

भिलाई। अग्रवाल महिला समिति द्वारा बांके बिहारी महिला समिति के सहयोग से न्यू खुर्सीपार भिलाई स्थित अग्रसेन भवन में श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ का भक्तिमय आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक रोजाना अपराहन 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है।

जिसमें कथा प्रवक्ता परम पूज्य संत राजेंद्र महाराज श्री धाम वृंदावन होंगे। आयोजन को देखते हुए भव्य तैयारियां की जा रही है। महायज्ञ स्थल की आकर्षक साज-सज्जा की गई है। इस संपूर्ण आयोजन की सूत्रधार प्रेमा-राजेंद्र गर्ग हैं।

इस अवसर पर विशेष आकर्षण के तहत भक्तों के लिए वृंदावन से आए हुए कलाकारों द्वारा रोजाना मनोहर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इन झांकियों के साथ वृंदावन के कलाकार नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति भी प्रतिदिन देंगे। आयोजन की शुरुआत शुक्रवार 15 जुलाई दोपहर 2 बजे से राधा कृष्ण मंदिर खुर्सीपार से निकलने वाली कलश यात्रा के साथ होगी।

इसके उपरांत कथा की शुरुआत अपराहन 3 बजे से होगी। इस शिव पुराण कथा महायज्ञ में समस्त आयोजन के मुख्य जजमान संगीता-नेमीचंद अग्रवाल है। पहले दिन 15 जुलाई को महात्म कथा ज्योतिर्लिंग की प्रादुमति कामदेव व नारद का प्रसंग होगा। शनिवार 16 जुलाई को सती मोह शिव से वियोग दक्ष यज्ञ में सती का भस्म होना प्रसंग सुनाया जाएगा। जिसमें जजमान गायत्री-नेतराम अग्रवाल व प्रेमलता-रामनाथ अग्रवाल होंगे। 17 जुलाई रविवार को मैना द्वारा तपस्या पार्वती जन्म, तप सप्तीर्सर्संगद शिव के मट रूप कथा शिव पार्वती विवाह का श्रवण होगा।जिसमें मुख्य जजमान गीता-डॉ विजय गोयल, सुशीला-गोपाल केशरवानी और रश्मि-राजेश अग्रवाल जजमान होंगे। वहीं सुमन-मालीराम गोयल उत्सव यजमान होंगे। 18 जुलाई सोमवार को कामदेव को जीवन प्रदान पार्वती को प्रतिवृत्त की शिक्षा एवं विदाई कार्तिकेय का जन्मोत्सव प्रसंग होगा। मुख्य जजमान सावित्री-अनिल अग्रवाल व ऊषा-संतु अग्रवाल होंगे। वहीं मंजू-करण पांडे की उत्सव जजमानी होगी। 19 जुलाई मंगलवार को तारकासुर वध कार्तिकेय द्वारा बाण एवं प्रलभन श्री गणेश जन्मोत्सव प्रसंग में अग्रवाल महिला संगठन भिलाई की उत्सव जजमानी होगी। मुख्य जजमान पूनम-प्रहलाद गोयल व इति-जगदीश धुवे होंगे। 20 जुलाई बुधवार को रिद्धि सिद्धि विवाह में मुख्य यजमान मंजू-प्रभुनाथ बैठा व आशा-कैलाश अग्रवाल होंगे। यह प्रसंग उषा-संतु अग्रवाल की उत्सव जजमानी में होगा। 21 जुलाई गुरुवार को माया-रामभगत अग्रवाल व बीना-संतोष अग्रवाल मुख्य जजमान होंगे। जिसमें शिव द्वारा शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान प्रसंग सुनाया जाएगा। इस दौरान द्वादश ज्योतिर्लिंग के दौरान उत्सव जजमान शारदा तोता, प्रेमलता-घनश्याम अग्रवाल होंगे।

22 जुलाई शुक्रवार को शिवलोक की कथा एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा होगी।

मवेशी को सड़क में छोड़ने पर मवेशी मालिकों पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

■ **निगम द्वारा आवारा मवेशी से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने लगातार कर रही है धड़पकड़ की कार्यवाही**

दुर्ग। राज्य शासन के आदेशनुसार रोका छेका संकल्प अभियान के तहत और आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर के सड़को पर घूमने वाले आवारा पशुओं की लगातार धरपकड़ने के साथ साथ सड़को से भगाया भी जा रहा है। आज पकड़े गए आवारा मवेशियों को पुलगांव गोकुल नगर स्थित गौठान में छोड़ा गया है। इन स्थानों में की गई कार्यवाही जेल चौक, सिविल लाइन, पटेल चौक, बाजार क्षेत्र, रायपुर नाका, मानवीय चौक के अलावा स्टेशन चौक में आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही की गई। शहर क्षेत्रों में आवारा मवेशी से होने वाले घटना/दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु मवेशी मालिकों को लगातार समझाइश के बाद भी नही मानने पर कार्यवाही करने निर्णय लिया गया है। तथा मवेशी मालिक द्वारा अपने मवेशी को दिन में छोड़ने के बाद रात को घर में नही बांधने के कारण शहर में आवारा घुमते फिरते रहते हैं और सड़क चौक चौराहों में कही पर भी क बैठ जाते हैं। जिससे कोई भी व्यक्ति को आते जाते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं और कभी कभी रात होने से मवेशी दिखाई नहीं देने से दुर्घटना हो जाती हैं। जिससे सड़क पर जमा की स्थिति निर्मित हो जाती हैं। जिसे रात में ना बैठे इसके लिए सभी मवेशी मालिकों से अपील किया गया की अपनी पालतु पशुओं को सड़क में न छोड़ें और दुकान के सामने बैठने ना न दे बैठने पर उसे रोड से भगा दें। आवारा मवेशी को अपने घर में बांधने के लिए लगातार जन जागरूकता,निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर में नगर निगम के गाड़ी के माध्यम से रोका छेका के लिए मुनियादी और शहर व बाजार में प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

घर की बाड़ी के पीछे लगाये गुलाब, गौठान में गुलाबजल यूनिट डाल ली

■ **सीमार्ट में बिकेगा पतोरा की महिला समूहों द्वारा बनाया गया गुलाब जल, तुलसी अर्क और गौअर्क का भी कर रहीं उत्पादन**

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग। पतोरा की स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने गुलाबजल का उत्पादन आरंभ कर नई मिसाल अन्य समूहों के लिए कायम की है। परंपरागत उत्पादों के विक्रय के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है इसलिए उन्होंने बिल्कुल नये उत्पाद का चुनाव किया जिसका स्थानीय स्तर पर उत्पादन बिल्कुल नहीं है और लाजिस्टिक की वजह से यहां तक आने वाली सामग्री काफी महंगे दामों में स्थानीय उपभोक्ताओं को मिल पाती है। गुलाब जल के उत्पादन के बारे में और विक्रय के बारे में सोचना कठिन था यह संभव हो सका जिला प्रशासन द्वारा दिये गये प्रोत्साहन से। एकता स्वसहायता समूह की अध्यक्ष प्रेमलता साहू ने बताया कि जिला पंचायत के अधिकारियों ने हमें कहा कि हमें परंपरागत उत्पादों से परे ऐसे उत्पाद भी बनाना चाहिए जिनकी बाजार में बड़ी जरूरत हो। हमने उनसे सुझाव माँगे। उन्होंने कहा कि गुलाब जल, तुलसी अर्क और गौअर्क आदि का उत्पादन हो सकता है और सीमार्ट के माध्यम से इसकी बिक्री संभव है। जिला प्रशासन ने इसके लिए तकनीकी मदद भी देने की बात कही। फिर यह कार्य शुरू हो गया। प्रेमलता ने बताया कि हमारा गुलाब जल मार्केट के रेट से दस रुपए कम है और गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं है। सी-मार्ट के माध्यम से हम लोग इसकी बिक्री करेंगी।

बीएसपी ने डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम किया लागू

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र भारत सरकार की डिजिटल पहल के अनुरूप सुरक्षा में सुधार और डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। वाणिज्यिक वाहनों के लिए वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और बिक्री सामग्री परिवहन वाहनों के लिए टेस्ट सर्टिफिकेट और एरिया पास सिस्टम के क्षेत्रों में दो परियोजनाओं को पूरा करने के बाद, संयंत्र ने अब चालान में डिजिटल हस्ताक्षर सिस्टम लागू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन संबंधित विभागों तथा सीआईएसएफ के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र ने सैप सिस्टम के साथ एकीकृत हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल में हस्ताक्षर को स्टोर करने के लिए एक विशेष हार्डवेयर का उपयोग करके चालान और परीक्षण प्रमाण पत्र में डिजिटल हस्ताक्षर की परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। यह सेल की सभी इकाइयों में अपनी तरह की पहली परियोजना है जहां डोंगल-आधारित हस्ताक्षर के स्थान पर दस्तावेजों में डिजिटल हस्ताक्षर हेतु एचएसएम सर्वर में संग्रहीत डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा रहा है।

छोटे व्यवसायियों के लिए बनेगा वेंडिंग जोन, जीई रोड की डिवाइडर पर होगा पौधरोपण

■ **भिलाई-चरौदा निगम में निरीक्षण के लिए पहुंचे कलेक्टर ने दिये निर्देश**

नव प्रदेश संवाददाता

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा भिलाई-चरौदा निगम में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं साफ - सफाई की व्यवस्था की स्थिति की मानिटरिंग करने पहुंचे। उन्होंने बाजार में एवं मार्गों के किनारे व्यवसाय कर रहे छोटे व्यापारियों को सुविधा देने वेंडिंग जोन बनाने के निर्देश आयुक्त कीर्तिमान राठौर को दिये। कलेक्टर ने कहा कि वेंडिंग जोन बनाने से इन व्यवसायियों को तो सुविधा मिलेगी। बेहद व्यस्त भिलाई-3 की सड़कों पर ट्रैफिक भी व्यवस्थित हो सकेगा। उन्होंने इसके लिए शीघ्र भूमि चिन्हांकन के निर्देश आयुक्त को दिये।

पार्किंग की व्यवस्था हो पुख्ता- कलेक्टर ने कहा कि बाजार के लिए पार्किंग का इशू भी महत्वपूर्ण होता है। पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था न होने से बाजार अस्त-व्यस्त हो जाता है और ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है अतएव पार्किंग हेतु उपयुक्त और पर्याप्त जगह भी चिन्हांकित कर लें। कलेक्टर ने जीई रोड के डिवाइडर पर पौधरोपण के निर्देश दिये तथा मार्ग के किनारे लैंडस्केपिंग के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डिवाइडर पर पौधे लगाने के साथ ही उन्हें सहेजने का कार्य भी प्राथमिकता से करना होगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर लें। कलेक्टर ने कहा कि पौधरोपण हो जाने से सड़क की खूबसूरती में काफी निखार आ जाएगा। इसके साथ ही लैंडस्केपिंग भी होने से पूरा रास्ता खूबसूरत हो जाएगा। कलेक्टर ने पदुम नगर मार्ग के दोनों किनारों पर भी पौधरोपण के निर्देश निगम अधिकारियों को दिये।

सामान बाहर रखा तो लगेगा जुर्माना- कलेक्टर ने कहा कि निगम अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि व्यवसायी दुकानों की सामग्री सड़क पर न रखें। एक बार ताकीद दिये जाने के बाद भी दोहराव होने पर कड़ी कार्रवाई करें और जुर्माना करें। कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को कहा कि नियमित रूप से सफाई व्यवस्था की मानिटरिंग करें और बाजार में नियमित अंतरालों में साफ-सफाई होनी चाहिए। कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202207100400175

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक मंजुल अभिषेक यादव आ. राकेश कुमार यादव निवासी बांस पारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 5/12 रकबा 0.0330 हें/ 3575 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13/7/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण एवं सभी संबंद्ध विशेष को जिनमें शासकीय अधिकारी सम्मिलित है, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार चांद मोहम्मद अहमद अली आत्मज इक्रम अली उम्र- लगभग 40 वर्ष निवासी 305, केलाबाड़ी सुराना कालेज के पास वार्ड नं 40 तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड 491001, जो अब तक अपने पुत्री का नाम फरहा तबस्सुत (FARHA TABASSUM) आ. चांद मोहम्मद अहमद अली माता की नाम शहीदा बेगम (उम्र 14 वर्ष जो नाबालिक है), के नाम से उसका नामकरण किए थे एवं उसका जन्म प्रमाण पत्र में भी फरहा तबस्सुम (FARHA TABASSUM) आ. चांद मोहम्मद अहमद अली माता की नाम शहीदा बेगम अंकित है, किन्तु उसकी पहली से 9वीं कक्षा तक के मार्कशीट में उसकी नाम (FARHA TABASSUM) आ. चंद मो अली माता की नाम सहीदा बेगम लिखा गया है। जिसे वह अपनी पुत्री का नाम फरहा तबस्सुम (FARHA TABASSUM) आ. चांद मोहम्मद अहमद अली माता की नाम शहीदा बेगम में परिवर्तन कराना चाहते है जो कि उनके वास्तविक नाम है। आज दिनांक से उनको फरहा तबस्सुम (FARHA TABASSUM) आ. चांद मोहम्मद अहमद अली माता की नाम शहीदा बेगम के नाम से पुकारा जाए/जाना जाए/पहचाना जाए न कि फरहा तबस्सुम (FARHA TABASSUM) आ. चांद मो अली माता की नाम सहीदा बेमग के नाम से। इसके पश्चात समस्त समयों पर अभिलेखों-विलेखों में और समस्त कार्यवाहियों तथा संव्यवहारों में चाहे वे प्राईवेट व्यवहार हो या सरकारी हो और समस्त अवसरों पर फरहा तबस्सुम (FARHA TABASSUM) आ. चांद मो. अली माता की नाम सहीदा बेगम के स्थान पर फरहा तबस्सुम (FARHA TABASSUM) आ. चांद मोहम्मद अहमद अली, माता की नाम शहीदा बेगम का ही वे उपयोग करेंगे। कृपया समस्त संबंध पक्ष या व्यक्ति यत्रपश्चात समस्त समयों पर मेर पक्षकार को फरहा तबस्सुम (FARHA TABASSUM) आ. चांद मोहम्मद अहमद अली माता की नाम शहीदा बेगम के नाम से ही जाने व संबोधित करें।

भवदीय
श्रीमती रश्मिप्रवा नाईक (अधिवक्ता)
जिला न्यायालय दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांक: 202206100900146/202206100900146

विषय: अ-6 सन्- 2020-2021

मामले की श्रेणी-राजस्व

अखरा प.ह.न. 00038 (13/22 (0.0100 हे.))

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / जवाहर अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम अखरा प.ह.न 38 तह. पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक जवाहर पिता बाजीलाल अन्य निवासी ग्राम कोहका भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम अखरा ह.नं. 38 स्थित अपने पुत्र सतीश कुमार पिता जवाहर के नाम दर्ज भूमि ख.नं. 13/22 रकबा 10.79 वर्गफीट 0.01 हे. में खातेदार सतीश कुमरा का दिनांक 27/12/2019 को फौत होने से अपना नाम दर्ज किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदक जवाहर पिता बाजीलाल अन्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्तानुसार नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 22/7/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 30/6/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री यशवंत सिंह कुर्वेती | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202207100400013

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री यशवंत सिंह कुर्वेती आ. श्री सुखलाल कुर्वेती निवासी ग्राम रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	798/16	0.023 हें 2480 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 01/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202206100400630

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक रोहित बघेल आ. भागीरथी बघेल निवासी प्रगति नगर रिसाली भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 225/53 रकबा 0.0165 हें/ 1800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 30/6/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री उजियार सिंह | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202206100400606

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री उजियार सिंह आ. स्व. टहल सिंह साहू निवासी ग्राम धनोरा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	226/3	0.020 हें 2400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27/6/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202206103300017/अ-06/ वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमति नीतू कंडरा पति मोनू कंडरा निवासी संतराबड़ी दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. बघेरा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 177/34 रकबा 600 वर्गफुट भूमि को विक्रेता संतोष कुमार पिता नोत्तमलाल से दिनांक 29/12/2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 24/6/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 6/6/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांक: सीजी 5106427062022021

धनोरा प.ह.न. 00039 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00039 के अंतर्गत ग्राम धनोरा के भूमिस्वामी कीर्ती पिता/पति एस.के पता मकान नं. टी 11 बी आदर्श नगर दुर्ग तह व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 28/14 (0.0167) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 4/7/22 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 30/6/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती सीमता नागवंशी | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202207100400042

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सीमा नागवंशी पति भोजराज नागवंशी निवासी सेक्टर-6 तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	798/8	0.014 हें 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री पंकज ध्रुव | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202207100400012

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री पंकज ध्रुव आ. श्री नारद राम ध्रुव निवासी सेक्टर-5 तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	798/9	0.015 हें 1620 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 1/7/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती यशोदा सिरदार पति मोतीलाल सिरदार निवासी ग्राम न्यू आदर्श नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 150/95 रकबा 0.033 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार / वसीयतकर्ता श्रीमती विश्वासा सिरदार के द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 15/2/2003 को पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर पंजीकृत/अपंजीकृत वसीयतनामा के अधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13/7/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री बलविंदर सिंह | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202207100400167

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री बलविंदर सिंह पिता स्व. गुरूबचन सिंह निवासी मुरूम खदान कोहका तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	8760/1	0.020 हें 2500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 12/7/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती संघमित्रा काम्बले | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202207100400093

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती संघमित्रा काम्बले पिता प्रदीप काम्बले निवासी हाउसिंग बोर्ड कोहका तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम पुरई प.ह.न. 40 तह. व जिला दुर्ग	1072/19	0.011 हें 1202 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08/7/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैं जपनीत कौर साहनी पिता दलजीत सिंग साहनी निवासी एच.आई.जी.-167 वार्ड नं 45 पद्मनाभपुर दुर्ग 491001 (छ.ग.) यह शपथ करती हूं कि मैंने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम जपनीत कौर सूरी पति दिवजोत सिंग सूरी रख ली हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम जपनीत कौर सूरी पति दिवजोत सिंग सूरी से ही जाना पहचाना जावे।

जपनीत कौर सूरी
पति दिवजोत सिंग सूरी
एच. आई. जी.-167 वार्ड नं 45
पद्मनाभपुर दुर्ग 491001 (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक साकेत ध्रुव पिता के.एल.ध्रुव निवासी ग्राम मैत्रीनगर रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 113/15 का टुकड़ा रकबा 1480 वर्गफीट भूमि को विक्रेता बिमल कुमार राजगढ़िया पिता नंदलाल राजगढ़िया निवासी ग्राम बांधा तालाब दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23/3/22 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 8/7/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ईरशाद खान पिता स्व. आयूब खान निवासी ग्राम तकियापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1041/58 (1041/59), 632/15 रकबा 0.014, 0.004 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार आयूब खान की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12/7/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

पुरानी फर्जी शिक्षाकर्मियों पर विभागीय कार्यवाही करने जनपद पंचायत ने किया प्रस्ताव पारित

- जपं सीईओ ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्र

साजा/नवप्रदेश। जनपद पंचायत साजा में बहुप्रतीक्षित फर्जी शिक्षाकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन समिति ने 8 जुलाई 2022 को अनुमोदन किया गया। हालांकि इस मामले की गूंज तो 2008 से सुनाई दे रही थी, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ औपचारिकता ही निभाई जा रही थी। लेकिन सन 2015 से लगातार 7 वर्षो तक फर्जी शिक्षाकर्मियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की। कोहकाबोड निवासी शिक्षक नारद सिंह राजपूत द्वारा उठाई जा रही थी, साथ ही ये खबरे मीडिया में लगातार प्रकाशित हो रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा पूर्ववर्ती सीईओ लोगो के द्वारा न्यायालयीन ऑर्डर के विपरित पुनर्नियुक्ति का ही रहा हैं, जिसकी चीफ सेक्रेटरी स्तर पर पूरे प्रमाणित शिकायत भी की गई थी। सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत साजा द्वारा अनुमोदन की क्षेत्र में काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही हैं। अन्यथा पूर्ववर्ती सदस्यों ने तो काफी जग हंसाई के बाद भी फर्जियों को बचाने के लिए उनके ही पक्ष में अनाधिकृत रूप से प्रस्ताव पारित करते रहे हैं, जिसके चलते फर्जियों को राजनीतिक सरंक्षण मिलता रहा। विभागीय जांच करने पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसकी साजा क्षेत्रवासियों की काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही हैं।

प्रस्ताव से मचा हड़कंप

8 जुलाई 22 को प्रस्ताव अनुमोदन की भनक जैसे ही इन फर्जी शिक्षाकर्मियों को लगी इनमें हड़कंप मच गया हैं। कई फर्जी शिक्षाकर्मियों को एकबार फिर जनपद पंचायत साजा का चक्कर लगाते देखा गया। अपने आकाओं की (एक प्रभावशाली जनपद सदस्य और एक शातिर लिपिक) गैरमौजूदगी में इनको ठिकाना नहीं मिल रहा वर्तमान जनपद अध्यक्ष भी शुरू से ही इन फर्जीयो पर कार्यवाही के पक्षधर रहे हैं। छग शासन के कद्दावर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भी गत दिनों जनपद के एक कार्यक्रम में नियमानुसार कार्यवाही की बात कह चुके हैं।

अपने बुने जाल में खुद फंसे फर्जी शिक्षाकर्मी

चोरी ऊपर से सीनाजोरी की कहावत इन फर्जी शिक्षाकर्मियों पर खूब फब रही हैं। बात बात में हाईकोर्ट का रास्ता नापने वाले फर्जी शिक्षाकर्मियों को इस बार हाई कोर्ट जाना भारी पड़ रहा हैं। रिस्पॉन्डिंग पर्सन होने के नाते पूर्व के किसी भी मामले में कोई भी जनपद सीईओ हाई कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा, जिसका फ ायदा इन फ र्जी शिक्षाकर्मियों ने खूब उठाया और जन मानस में सीना ठोककर बोलते थे हम लोग हाईकोर्ट के आर्डर में नौकरी कर रहे हैं। लंबी अवधि तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते अनुपस्थिति समय का वेतन मांगने का दु:साहस इस बार इन लोगों को भारी पड़ने वाली हैं। अनुपस्थिति समय का वेतन न मिलने पर सीईओ जनपद पंचायत को ये लोग पार्टी बनाए थे। सूत्रों से प्राप्त खबर के अनुसार वर्तमान सीईओ महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर के मार्गदर्शन के लिए गई, तब पता चला इनकी पुनर्नियुक्ति जो हुई है वही गलत हैं। न्यायालय ने तो अपने हर आर्डर में विभागीय कार्यवाही करने की बात कही थी नियुक्ति देने की नहीं इनके ऊपर तत्काल विभागीय कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया। जिसके परिपालन कराने जनपद में भी प्रस्ताव पारित कर जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को पत्र दी गई।

लाखों रुपए जनपद को देना पड़ रहा है कोर्ट में फीस

गत तीन चार वर्षो में जनपद पंचायत साजा बेवजह कोर्ट फ ीस के रूप में सरकारी पैसे भुगतान कर चुकी हैं। आए दिन फर्जी शिक्षाकर्मियों द्वारा विभिन्न बातों को लेकर कोर्ट जाते रहे है और सीईओ को जवाब प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं। पूर्ववर्ती सीईओ यदि विधिवत कार्यवाही किए होते तो फर्जी शिक्षाकर्मियों का केश कोर्ट में वैसे भी खारिज हो जाता और शासन का लाखों रुपये और अधिकारियों का समय बच जाता और फर्जी शिक्षाकर्मी भी बार बार कोर्ट जाने का दु:साहस नहीं करते, जैसे सन 2008 में जनपद पंचायत स.लोहारा ने किया था। वहां 2008 में ही विधिवत कार्यवाही किए थे वहां के फर्जी शिक्षाकर्मी लोग दोबारा कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, कुछ लोग गए भी तो 14 साल से उनका मामला वकीलों के चेम्बर में धूल खाते पड़ा है इस बार बेमेतरा जिले में भी ऐसी कार्यवाही की उम्मीद जगी हैं।

लगातार बारिश से शिवनाथ नदी हुआ जलमग्न, संपर्क टूटा

देवकर। भीषण गर्मी में सूखे की मार झेल नदी-नालों में अब लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ने लगा है। जिसमें नगर देवकर समीपवर्ती ग्राम कुम्हिगुड़ा में इन दिनों शिवनाथ नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय इलाके को ब्लॉक मुख्यालय बेरला से जोड़ने वाला एकमात्र एनीकट (रपटा) डूब चुका है। पानी की लहरे एनीकट से कई फिट ऊपर चल रही है। उल्लेखनीय है कि बेरला विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम कुम्हीगुड़ा में जिले की सदाबहार शिवनाथ नदी एवं उसकी सहायक सुरही नदी का संगम स्थल है, जो एनीकट से कुछ मीटर पूर्व में स्थित है। जिसके कारण एनीकट के समीप पानी का बहाव काफी तेज रहता हैं। जबकि इसी दरम्यान क्षेत्र में विगत तीन-चार दिनों से जमकर खण्ड वर्षा बरस रही है। वही इन दिनों देवकर अंचल के ग्राम जामगांव, डेहरी, बासीन, बचेड़ी, नवकेशा, लुक, पेण्ड्रावन, गाडाडीह, मोहगांव, राखी जोबा, खिशोरा, चोंगी खपरी, बुडेरा, कोदवा, काँचरी, मौहाभाठा, घुघुवाडीह इत्यादि इलाकों में जमकर हुई बारिश से नदी-नाले एवं तालाब लबालब नज़र आ रहे है।

कोरोना ने छीना सुहाग तो मिला अनुकम्पा नियुक्ति का सहारा

- शासन के फैसले से रुखमणी को मिली अनुकम्पा नियुक्ति

बेमेतरा/नवप्रदेश। राज्य सरकार द्वारा मानवीय सहानुभूति को ध्यान मे रखते हुए बीते वर्ष अनुकम्पा नियुक्ति में 10 प्रतिशत के सीमा बन्धन को समाप्त कर दिये जाने से प्रदेश के दिवंगत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के स्वजनों को अनुकम्पा नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी के पद पर बेमेतरा में कार्यरत लगभग 42 वर्षीय स्व. राजकुमार ओगरे का 25 अप्रैल 2021 को कोरोना महामारी की दूसरी लहर में असमय मौत हो गई। नियति को कौन टाल सकता है।

ऐसे समय में उनके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई। परिवार मे पत्नी के अलावा दो पुत्र है। एक बेटा कक्षा 8 वीं एवं दूसरा कक्षा 5 वीं मे अध्ययनरत है। ग्राम डबराभाट जिला कबीरधाम में उनका संयुक्त परिवार है। जिला योजना अधिकारी ओगरे की पत्नी रुखमणी कक्षा आठवीं तक पढ़ी है। संकट के इस मुश्किल घड़ी में पति के निधन के लगभग 6 माह के बाद उन्हे जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बेमेतरा में भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति मिली। रुखमणी ने 26 अक्टूबर 2021 को अनुकम्पा नियुक्ति के तहत नौकरी ज्वाइन की है। शैक्षणिक योग्यता कम होने के कारण उन्हे इस पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त हुई है। शासन के इस राहत भरे फैसले पर रुखमणी ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया। रुखमणी ने कहा कि पति के न होने से परिवार का अधूरापन यद्यपि कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की। प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के चलते ही यह सम्भव हो पाया और आज वह अपने परिवार के लिए कुछ करने लायक सक्षम हो पाई। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। रुखमणी का सपना है कि उनके बच्चे भी आगे पढ़ लिखकर अपने पिता की तरह एक जिम्मेदार शासकीय सेवक बनकर आम जनता की सेवा करेंगे।

शुरू हो गया सावन का पावन महीना शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़

- महादेव का किया गया विशेष श्रृंगार

देवकर/नवप्रदेश। सावन माह का 14 जुलाई दिन गुरुवार से शानदार शुरुआत हो गया है। जिसमें अब शिवभक्तों की भीड़ स्थानीय शिव मंदिरों में नजर आने लगी है। जिसमें सुबह से ही शिवलिंगों पर जलाभिषेक करते श्रद्धालुगण दिखाई देने लगे हैं। वहीं ओम नमः शिवाय की भी गूंज जगह जगह सुनाई देने लगी। इसी सिलसिले में बेमेतरा जिला क्षेत्र अंतर्गत साजा विकासखंड के नगर पंचायत देवकर समीपवर्ती ग्राम सहसपुर में

शिवभक्ति का विशेष नज़ारा देखने को मिल सकता है। जहां प्रतिवर्ष की भांति प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा-पाठ किया जाएगा।जिसमे स्थानीय इलाके के साथ दूर-दराज के लोग पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।

भटगुना मार्ग का पुल बना परेशानी का सबब, स्कूली छात्र हो रहे परेशान

- बरसात में पुल के ऊपर तक आ जाता है पानी
- राहत का रास्ता खोलने ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

राजनांदगांव/नवप्रदेश। जिले के डोंगरगगांव विकासखंड के भटगुना गांव के स्कूली बच्चे विकट स्थितियों के कारण इन दिनों काफ ी हताश और परेशान हैं। बरसात का मौसम बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। यहां स्कूल के रास्ते पर आने वाला एक नाला और उसका पुल बच्चों का रास्ता रोक देता है। दरअसल, नाले के पुल की ऊंचाई बहुत कम होने के कारण थोड़ी सी भी बारिश होने पर पानी पुल के ऊपर आ जाता है, जिसे पार करना बच्चों के लिए खतरनाक हो जाता है। इस समस्या से अंचल के ग्रामीण भी काफी परेशान हैं।

बताते चलें कि भटगुना गांव शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां से लगभग 100 बच्चे मीडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज पढ़ने जाते हैं। वहीं गांव पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, जहां से खुज्जी 3 किलोमीटर और डोंगरगांव 7 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बीच एक नाला है। ग्रामीण बताते हैं कि नाले की ऊंचाई बहुत कम होने के कारण थोड़ी सी भी बारिश होने पर पानी पुल के ऊपर आ जाता है और ऐसी स्थिति में रास्ते का पुल कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। पढाई के लिए स्कूल या कॉलेज जाते समय विवशतावश नाला पार करने से विद्याथियों के बह जाने का भय बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है, इस समस्या से राहत तभी मिल सकती है, जब पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसीलिए मुख्य रूप से कमल नारायण साहू व खेमसिंग साहू सहित भटगुना गांव तथा अंचल के ग्रामीणों ने पुल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अब प्रशासन से गुहार लगाई है।

युवक की खून से सनी मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

राजनांदगांव/नवप्रदेश। जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुरमुंदा में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक की खून से सनी लाश मिली। लाश मिलने की खबर क्षेत्र में आग को तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। एक पल तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बात हत्या तक पहुंची गयी। बहरहाल ग्रामीण सन्न है और दबी जुबान में एक-दूसरे से काना फू सी कर रहे हैं। इधर सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुनील पिता बरातू राम साहू उम्र 40 वर्ष निवासी मुरमुंदा है। पता चला है कि आरोपी एवं मृतक के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई और आवेश में आकर आरोपी ने मृतक के सिर पर डंडे से कई बार प्रहार के जिससे वह वहीं पर ढेर हो गया।

एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उक्त आरोपी मृतक का मित्र है, जो पुलिस गिरफ्त में भी आ चुका है। बहरहाल आरोपी से बातचीत कर हत्या की असर वजह जानने में पुलिस जुट गई।

सड़क में खून से लथपथ पड़े घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची विधायक

- मदद के चलते घायलों को समय पर मिल सका ईलाज

राजनांदगांव/नवप्रदेश। बीते बुधवार को एक बार फि र खुज्जी विधायक छन्नी साहू की सक्रियता के चलते सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर ईलाज मुहैया हो सका। खुज्जी विधानसभा के ग्राम घुपसाल-कुमर्दा के बीच स्टेट हाईवे पर घायल पड़े दो व्यक्तियों को विधायक ने अपने सुरक्षा अधिकारियों की मदद से अपने साथ छुरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

बुधवार की शाम विधायक विधानसभा क्षेत्र के अपने दौरा कार्यक्रम के बाद अपने काफिले के साथ वापस लौट रहीं थीं। इसी बीच ग्राम घुपसाल-कुमर्रा छुरिया के बीच सड़क पर सड़क दुर्घटना में खून से लथपथ दो घायल व्यक्ति सड़क पर ही कराह रहे थे और मदद मांग रहे थे। विधायक ने नजर पड़ते ही अपनी गाड़ी रुकवाई और तत्काल घायलों की मदद के लिए आगे आई।

विधायक ने अपने सुरक्षा अधिकारियों की मदद से घायलों को अपने ही वाहन में बिठाया और बगैर देर किए उन्हें छुरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची। घुपसाल निवासी मनीराम उइके एवं कुमर्रा छुरिया निवासी हरीश उइके को सड़क दुर्घटना में काफी चोटे आई थीं। विधायक ने ड्यूटी डॉक्टर को तत्काल समुचित ईलाज के लिए कहा। इस दौरान घायलों के परिजनों को सूचना देकर उन्हें भी घटना की जानकारी देकर अस्पताल बुलाया गया। घायलों के परिजनों ने मदद के लिए विधायक को धन्यवाद दिया है।

ये पहला मौका नहीं है जब खुज्जी विधायक छन्नी चंदू साहू ने सड़क दुर्घटना के घायलों को समय पर ईलाज मुहैया कराकर उनकी मदद की हो। इससे पहले भी वे कई बार ऐसा कर चुकी हैं। वे ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील हैं। लोगों से भी सहयोग की अपील करती हैं।

विधायक ने लोगों से की अपील

इस घटना के बाद विधायक छन्नी साहू ने कहा कि, सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल मदद मुहैया होनी चाहिए। उन्होंने अपील कि, अगर रास्ते में कोई दुर्घटना होती है और उसमें कोई घायल होता है तो उसकी तस्वीर खिंचने, विडियो बनाने के बजाए पहले उसकी मदद करें और उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें। कभी ऐसे मामलों को नजर अंदाज कर बगैर मदद किए ही आगे न निकल जाएं। आपकी छोटी सी कोशिश भी किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है।

कृषक सेवा समिति भटगांव के वितरण केंद्र कुछ दिना ही खुलते हैं इससे हितग्राही राशन से हो जाते है वंचित

भटगांव/नवप्रदेश। कृषक सेवा सहकारी समिति पंजीयन क्रमांक 1416 के अंतर्गत वितरण केंद्र से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जहां गरीबों को शासन द्वारा निशुल्क चावल कोरोना काल से अतिरिक्त चावल दिया जा रहा। ताकि जनता कि परेशानियां ना हो वही वितरण केंद्र के द्वारा गिनती के दिन वितरण केंद्र खुलने के कारण गरीब परिवार के हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ से वंचित होना पड रहा है। सोचने वाली बात यह है वितरण केंद्र में एक सेल्समैन की नियुक्ति किया गया है पर वितरण केंद्र में वितरण करने वाले तीन

से चार व्यक्तियों द्वारा वितरण किया जाता है जिनको किस आधार पर कहां से मजदूरी दिया जाता है यह भी सोचने वाली बात है तो किसी वितरण केंद्र में सेल्समैन ही नहीं रहता वितरण करने वाले कर्मचारी ही वितरण करते हैं सोसाइटी वितरण केंद्र महीने में महज तीन और चार दिन खुलकर बंद हो जाता है जबकि वितरण केंद्र को पूरे 30 दिन माह भर खुलना चाहिए ताकि हितग्राहियों को महीने भर में समय निकालकर अपना चावल शक्कर आसानी से ले जा सके पर भटगांव वितरण केंद्र में इस तरह के कार्य नहीं होने से कि कई गरीब परिवार रोजी-रोटी कमाने खाने या फिर गांव में ही अन्य स्थान मजदुरी करने चले जाते और अपने परिवार के सदस्यों को चावल शक्कर लेने के लिए बोलकर जाते तो किसी माह अंगुठे निशान आता तो दुसरे माह अंगुठे का निशान नही आने से हितग्राहियों को चावल से वंचित हो रहे हैं। तो दुसरा माह पिछ्ले माह का चावल भी नहीं दिया जाता है वितरण केंद्र मनमानी कार्य से गरीब परिवारों को दुसरे स्थान से चावल महंगे दामों पर खरीदी कर खाने को मजबुरी बन गया है जबकि हर महीने हितग्राहियों का चावल, शक्कर, का आबंटन वितरण केन्द्र में आता है क्या जिन हितग्राहियों का आबंटन आया और हितग्राही को नही ले पाया तो आबंटित चावल, शक्कर कहा जाता है। जिम्मेदार अधिकारी भी कभी वितरण केंद्र में हो रही लोगों की समस्या के संबंध में सुध लेने की फुर्सत नहीं है। जिसके कारण गरीब परिवार के हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वितरण केंद्र के सबध में हितग्राहियों ने ये कहा कि वार्ड कमाक 1 सोभु, लक्ष्मी, दिल चंद ने कहा अंगूठा नहीं आता तो चावल शक्कर नहीं किया जाता सर चावल शक्कर कहां जाता है जांच किया जाए सुखीन बाई, सावनमति सिदार पंचू के मां जैसे 5 महिलाओं चावल अंगूठा नहीं आने पर एक माह दिया जाता है दूसरा माहं चावल नहीं दिया जाता है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202207100400180

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका रामेश्वरी देवांगन आ. रामकुमार देवांगन निवासी आदित्य नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1/53 रकबा 0.013 हें/1410 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13/7/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र02//अ-20(1)/ वर्ष 2020 -21

आवेदिका भागवत ढीमर पिता तिजऊ ढीमर निवासी नयापारा द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित मोहल्ला नयापारा नजूल भूमि शीट क्रमांक 9डी भूखण्ड क्रमांक 56/2 क्षेत्रफल 30.66 वर्गमीटर आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड स्थाई नजूल पट्टे पर भूमिस्वामी अधिकार में स्थायी पट्टे में मांग की गई। छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय माहनदी भवन, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र. एफ 04-07/ 7-1/ 2019 दिनांक 11.09.2019 एवं 26.10.2019 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में धारक/पट्टेदार द्वारा शासन की शर्तो के अनुरूप उक्त भूखण्ड का भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 27/7/22 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12/7/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर

नजूल अधिकारी
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202207100700103//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डोमेन्द्र प्रसाद देवांगन पिता राम कुमार देवांगन साकिन शंकर नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.नं.24 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि कुल खसरा नं. 1306/83 कुल रकबा 0.007 हे भूमि पर अभिलिखित नाबालिग शब्द को विलोपित कर बालिग दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29/7/22 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08/07/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री सतवीर सिंह | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202207100400148

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सतवीर सिंह पिता स्व. कुंदन सिंह निवासी आजाद वार्ड गंजपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कसारीडीह प.ह.न. 56 तह. व जिला दुर्ग	266/2	0.014 हें 1506 वर्गफीट	वाणिज्यिक

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 7/7/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांकः 202207100900079/202207100900079
विषयः अ-6 सन्- 2020-2021

मामले की श्रेणी-राजस्व

सेलूद प.ह.न. 00027
पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - /
ताल सिंह पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण ताल सिंह आ. स्व. चोवाराम एवं अन्य-4 निवासी सेलूद तह. पाटन द्वार ग्राम सेलूद प.ह.नं. 27 तह. पाटन स्थित भूमि खसरा नं. 946, 1358 रकबा क्रमशः 0.04, 0.40 हे. आवेदकगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त खाता से मेहतरीन बाई आ. चोवाराम के व्यक्ति आवेदकगण के परिवार से नहीं होने कारण उक्त खाता से उनका नाम विलोपित करने आवेदन पेश किया है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस भी व्यक्ति/संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 22/7/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28/6/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
पाटन (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरबा संभाग कोरबा (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-4054/NIT-6/2022-2023/वलेलि — दिनांक 12/07/2022

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 22/07/2022 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 28/07/2022 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 29/07/2022 अपरान्ह 5.30 बजे तक
विकासखण्ड- करतला जिला कोरबा छ.ग.

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ NoOfCalls	कार्य की लागत (लाख में) अमानत राशि (रु.में) बैंक साल्वेंसी (रु.में)
1	2	3
6 T0026	उपसंभाग कोरबा के उपखण्ड उरगा अंतर्गत मार्गों में विशेष मरम्मत मजबूतीकरण पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य	20.00 15000.00 300000.00
6 T0027	उपसंभाग कोरबा के उपखण्ड बरपाली अंतर्गत मार्गों में विशेष मरम्मत मजबूतीकरण पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य	20.00 15000.00 300000.00
6 T0028	उपसंभाग कोरबा के मुख्यालय उपखण्ड क्रमांक-1 अंतर्गत आवासीय/गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं डिस्टेम्पिरिंग का कार्य	20.00 15000.00 0.00
6 T0029	उपसंभाग कोरबा के मुख्यालय उपखण्ड क्रमांक-02 एवं 03 अंतर्गत आवासीय/गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं डिस्टेम्पिरिंग का कार्य	15.00 11250.00 0.00
6 T0030	उपसंभाग कोरबा के मुख्यालय उपखण्ड क्रमांक-05 एवं 06 अंतर्गत आवासीय/गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं डिस्टेम्पिरिंग का कार्य	20.00 15000.00 0.00
6 T0031	उपसंभाग कोरबा के मुख्यालय उपखण्ड क्रमांक-04 एवं बरपाली उरगा-बरपाली उपखण्ड अंतर्गत आवासीय/गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई एवं डिस्टेम्पिरिंग का कार्य	15.00 11250.00 0.00
6 T0032	उपसंभाग कोरबा के मुख्यालय उपखण्ड क्रमांक-01 एवं 03 अंतर्गत आवासीय/गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं विशेष मरम्मत का कार्य	20.00 15000.00 0.00
6 T0033	उपसंभाग कोरबा के मुख्यालय उपखण्ड क्रमांक-02 एवं 06 अंतर्गत आवासीय/गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं विशेष मरम्मत का कार्य	20.00 15000.00 0.00
6 T0034	उपसंभाग कोरबा के मुख्यालय क्र. 04 एवं 05 बरपाली एवं उरगा उपखण्ड अंतर्गत आवासीय/गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं विशेष मरम्मत का कार्य	15.00 11250.00 0.00
6 T0035	शासकीय इं.वि. स्तानकोत्तर महाविद्यालय कोरबा के क्रीडा विभाग में आउटडोर स्टेडियम (पवेलियन) स्टैन्डर्ड साईज टेनिस कोर्ट (क्ले.) दो क्रिकेट टर्फ पिच, व्हालीबाल क्ले. कार्य	4.11 3083.00 0.00

नोट :-
1. T0026 To T0034 कार्य प्रथम निविदा आमंत्रण है एवं T0035 तृतीय निविदा आमंत्रण है।
2. T0026 To T0037 कार्यों की निविदा फार्म A है एवं निविदा प्रपत्र की कीमत 750.00 रुपए है एवं T0028 to T0035 कार्य की निविदा फार्म A (e) है तथा निविदा फार्म की कीमत 0.00 है।
3. T0026 To T0034 कार्यों की कार्य अवधि दिनांक 31.12.2022 तक है एवं T0035 कार्य की समयावधि 03 माह वर्षा ऋतु तक है।
4. T0026 to T0027 कार्यों की निविदाकारों की श्रेणी द वर्ग से अ वर्ग तक है तथा T0028 to T0035 कार्य की निविदा श्रेणी ई श्रेणी है।
5. T0028 to T0035 कार्य हेतु ई श्रेणी में पंजीकृत आवेदक को एक ही कार्य की निविदा प्रपत्र प्रदाय किया जावेगा। विकासखण्ड कोरबा जिला कोरबा में ई श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्यहै। ई श्रेणी ठेकेदार हेतु पंजीयन की मूल प्रति, जीएसटी, पेन, आधार, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों प्रस्तुत करना होगा एवं मोबीलाशन क्लाज निरंक है।

निविदा संबंधी समस्त शर्तें संभागीक कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

Executive Engineer
P.W.D. Korba, Div.Korba (C.G.)

G-92941/7

जिला अस्पताल में हफ्ते में एक दिन हो रही सिजेरियन डिलीवरी

◗ भाजपा शहर मंडल महामंत्री ने की दो स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की मांग

पदस्थ रहे विशेषज्ञ का हुआ तबादला, बाहर से बुला रहे डॉक्टर

बालोद/नवप्रदेश। जिला अस्पताल में सिजेरियन प्रसव के लिए सिर्फ 1 दिन की सुविधा मिल रही है वह है गुरुवार। यानी अगर बाकी दिन ऐसे प्रसव स्थिति आई तो फिर केस रिफर करना पड़ जाता है। ऐसे में पीड़ितों की जान मुसीबत में पड़ सकती है। मजबूरी में फिर परिजनों को प्रसव पीड़ितों को प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ता है। जहां से 10 से 15000 तक खर्च करके सिजेरियन प्रसव कराना पड़ता है। इससे सरकार की योजनाओं का अपेक्षित लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं निजी अस्पतालों की कमाई भी बढ़ गई है। विशेषज्ञ के तबादला होने से यह परिस्थिति बनी हुई है। जिसे गंभीरता से लेते हुए भाजपा शहर मंडल के महामंत्री व पूर्व पार्षद संतोष कौशिक ने अस्पताल प्रबंधन व जिला प्रशासन से यहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ पदस्थापना की मांग की है। ताकि किसी भी दिन अगर सिजेरियन प्रसव का केस आता है तो 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हो सके। श्री कौशिक ने कहा महिला विशेषज्ञ नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर पैसा देकर प्रसव व इलाज कराना पड़ रहा है। जिसके कारण उन्हें शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्मल डिलीवरी को भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने के कारण जिला अस्पताल से रेफर कर दिया जा रहा है। प्रसव काल में शारीरिक दुख सहते हुए गर्भवती माताओं को चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर डिलीवरी। उन्हें पैसा देकर डिलीवरी करना पड़ रहा है।

वापस लाए विशेषज्ञ को या करें दूसरी पोस्टिंग

डॉ तोमेश वर्तमान में जिला अस्पताल धमतरी में पदस्थ है उन्हें जिला अस्पताल बालोद स्थानांतरित किया जाए या अन्य दो महिला विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति शीघ्र करने की मांग है। संतोष कौशिक ने कहा कि डॉक्टर श्रीमाली के जाने के पश्चात जिला अस्पताल बालोद में प्रसव से संबंधित कार्य डगमगा सा गया है। सप्ताह में मात्र 1 दिन गुरुवार के दिन ही बाहर से डॉक्टर बुलाकर प्रसव कार्य किए जाने की जानकारी गर्भवती माताओं के द्वारा दी गई है। जोकि बिल्कुल ही उचित नहीं है। जिला अस्पताल बालोद में डॉक्टर के अभाव में नॉर्मल डिलीवरी वालों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि प्रसव का कोई समय नहीं होता है। रात्रि कालीन प्रसव वाले महिलाओं को बहुत ही ज्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। कई गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गर्भवती माताओं को 12000 देकर निजी अस्पताल में प्रसव कराना पड़ा है। इस प्रकार से जिला अस्पताल बालोद में लगभग एक महीने से स्थिति बहुत ही खराब हो गई है।

पहले डीएमएफ से हुई थी व्यवस्था

पूर्व में कलेक्टर द्वारा खनिज न्यास निधि से डॉक्टर तोमेश श्रीमाली को नियुक्ति किया गया था। डॉक्टर तोमेश की सेवा से जिले से आने वाले गर्भवती माताओं को जिला अस्पताल बालोद में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती थी। जिनकी अब नियमित पद पर जिला हॉस्पिटल धमतरी पोस्टिंग हो गई है। तब से अब तक कोई भी महिला विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति जिला अस्पताल बालोद में नहीं हुई है। जिसके कारण गर्भवती माताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा शहर मंडल बालोद महामंत्री एवं पूर्व पार्षद संतोष कौशिक ने शीघ्र महिला विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति जिला अस्पताल में करने की मांग किया है।

शिशु मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाया गया

भाटापारा/नवप्रदेश। सरस्वती शिशु मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गुरु पुर्णिमा का पावन उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मां सरस्वती की पुजन अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के व्यवस्थापक अनिल जैन एवं जिला प्रतिनिधि वल्लभ लाहोटी के द्वारा आचार्यो का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ट आचार्य टेकराम वर्मा ने गुरु की महत्ता एवं वर्तमान परिस्थितियों में गुरु और शिष्य के बीच जो मनोभाव परिलक्षित हो रहा है। उस विषय पर सारगर्मित उदबोधन दिया । मालिक राम वर्मा ने भी गुरु की महिमा और उपयोगिता को बड़ा मार्मिक ढंग से हम सभी को बोध कराया। किरण दीदी एवं राम कुमार राठौर आचार्य ने भी गुरु की मानव जीवन में क्या महत्व है बड़ी सहज रुप से अवगत कराया। कार्यक्रम का सफल संचालन चंद्रिका दीदी ने की एवं उस पर सुमधुर गीत अंकिता जोशी दीदी ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में प्राचार्य तेजराम साहू ने आगन्तुल जनों का आभार व्यक्त करते हुए शांतिपाठ के साथ समापन किया। उपरोक्त जानकारी विद्यालय के प्रचार-प्रसार प्रमुख राम कुमार राठौर आचार्य ने दी।

भाभी को जहर पिलाकर जान से मारने का प्रयास करने वाला देवर गिरफ्तार

भाटापारा/नवप्रदेश। अपने घर के बाहर बैठी भाभी को अपने घर बुलाकर ले जाने और उसके साथ मारपीट कर जबरन कीटनाशक दवा पिलाने वाले देवर को लवन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उपरोक्त संबंध ने लवन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हितेश जंघेल ने बताया कि आहता दरसिया बाई पटेल पति फेरू राम पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम करदा अपने घर बाहर चौरा में बैठी थी तभी लगभग 4 बजे शाम उसका देवर आरोपी समारू पटेल अपने घर बुलाया और शराब के नशे में अकारण उसे थप्पड़ मारा जब वह पूछने लगी की घर बुलाकर क्यों मार रहे हो तब उसका देवर उसके बाल को पकड़कर जान से मारने की नियत से एक पीले रंग की डिब्बे में रखा खरपतवार नाशक दवा को पिला दिया और घर अंदर चला गया आहता आरोपी के घर में रेंगान दरवाजा पास बैठी थी तभी गांव के एक व्यक्ति ने देख लिया और उसके घर वालों को जाकर सूचना दिया फिर उसका लड़का उसे आकर वहां से ले गया और तुरंत इलाज हेतु शासकीय अस्पताल भवन में भर्ती कराया गया।सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल पहुंचकर प्रार्थीया की रिपोर्ट पर धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं वरिस्ठ अधिकारीयो के निर्देश पर आरोपी समारू पटेल को पता तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया एवं जहर की बोतल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

उक्त कार्यवाही में प्र.आरक्षक निरंजन सेन, आरक्षक कमलेश बर्मन, रंजित कुर्रे, राजेन्द्र साहू, सूरज बंजारे का विशेष योगदान रहा।

शिक्षा विकास का मुख्य मार्ग है, यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी : एसपी

◗ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक का जताया आभार

कवर्धा/नवप्रदेश। कबीरधाम पुलिस द्वारा वर्ष 2018 से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत अतिनक्सल प्रभावित, वनांचल के गांवों में शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों को ओपन परीक्षा का फार्म भी भरवाया जा रहा है। वर्ष 2018 से अब तक कबीरधाम पुलिस द्वारा 08 अस्थाई स्कूल कक्षा पहली से पांचवी तक लगभग 700 विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रेरित और विशेष बैगा जनजाति के लगभग 100, अन्य समाज के 170 विद्यार्थियों को ओपन परीक्षा का फार्म भरवाकर उनकी आर्थिक मदद कर संपूर्ण खर्च कबीरधाम पुलिस द्वारा उठाया गया और शत-प्रतिशत परिणाम रहा। पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देशानुसार वनांचल के विद्यार्थियों को कोंचिग और परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने के लिए वाहन का सुविधा भी मुहैया कराया गया था। जिसका सफल परिणाम आज देखने को मिल रहा है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय कबीरधाम पुलिस के सहयोग से ओपन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र-छात्राओं, बैगा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री इतवारी बैगा, बलराम बैगा, केवल सिंह मेरावी, श्रवण सहित वनांचल के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह से भेंट मुलाकात कर धन्यवाद ज्ञापित किया।

वनांचल वासियों ने कहा कि कबीरधाम जिले के वनांचल एवं अति पिछड़े क्षेत्र के विशेष जनजाति बैगा विद्यार्थियों जो आर्थिक रूप कमजोर होने के कारण शिक्षा से वंचित थे, वनांचलवासियों ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एसपी डॉ. सिंह को बताया कि आपने 8 अस्थाई स्कूल सौरू, पंठरीपथरा, बंदूककुंदा, झुरगीदादर, सुरूतिया, मांदीभाठा, तेंदूपड़ाव और बगईपहाड़ के लगभग 2018 से लेकर अब तक कक्षा पहली से पांचवी तक लगभग 700 विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर संपूर्ण खर्च आपके द्वारा उठाया गया और शत-प्रतिशत परिणाम रहा। उन्होंने बताया कि ओपन परीक्षा के माध्यम से विशेष बैगा जनजाति के लगभग 100 विद्यार्थियों को फार्म भरवाकर उनकी आर्थिक मदद कर उनका सहयोग किया। जिसका परिणाम भी उत्कृष्ट रहा। इसके अतिरिक्त वनांचल क्षेत्र में अन्य समाज के लगभग 170 विद्यार्थियों को भी शिक्षा देने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी सेजबहार, जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत भवन क्र. एलआईजी-278 श्रीमती सावित्री चंद्राकर पति श्री एल.आर. चंद्राकर के नाम पर इस कार्यालय का आबंटन आदेश क्र. 1186 दिनांक 05.03.2007 के माध्यम से आबंटित है। आबंटी द्वारा भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 26.06.2009 को लीजडीड निष्पादित करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्रीमती सावित्री चंद्राकर पति श्री एल.आर. चंद्राकर निवासी 566 वार्ड नं. 66 फुटबाल हाउस के पास, सुंदर नगर रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्री देव सुधाकर पांडेय पिता श्री उदय दत्त पांडेय निवासी-मकान नं. 203 एमआईजी ब्लाक 34 नया रायपुर, अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में विक्रय करना चाहता है। विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा की छायाप्रति एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन को क्रेता श्री देव सुधाकर पांडेय पिता श्री उदय दत्त पांडेय के पक्ष में विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखंड/भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

पिंकी की सहायता के लिए समाज आया सामने, मदद के लिए बढ़ाया हाथ

2गरियाबंद/नवप्रदेश। डड़सेना समाज की अमलीपदर निवासी महिला पिंकी सिन्हा का विगत दिनों अखबारों एवं सोशल मीडिया में घर का छत टूट जाने पर दो बच्चों के साथ जान जोखिम में डालकर रहते हैं टूटे मकान का समाचार प्रकाशित होने पर डड़सेना कलार समाज तहसील परिक्षेत्र देवभोग ने मदद करने के लिए समाज की आवश्यक बैठक अमलीपदर में किया जिसमें बेवा महिला श्रीमति पिंकी सिन्हा एवं उनके दो छोटे बच्चे को मदद करने दिल खोलकर किये । प्रदेश स्तर से समाज के दानदाताओं ने 11 हजार रूपये, तहसील समाज देवभोग 10 हजार रूपये एवं उनके बच्ची प्रियंका के प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना खाते में सात हजार रूपये का दान किये । दानदाताओं में मंडलेश्वर तुलसीराम सिन्हा, उप मंडलेश्वर ललित सिन्हा, पूर्व जिलाध्यक्ष मुरलीधर सिन्हा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भजन राम सिन्हा, भोजराज सिन्हा, डोमार सिन्हा, डॉ. मनीष सिन्हा, शिवकुमार सिन्हा, कैलाश सिन्हा, दुरदो राम सिन्हा प्रमुख थे । पूर्व जिलाध्यक्ष मुरलीधर सिन्हा ने बच्ची की सुकन्या समृद्धि योजना खाते में परिपक्वता तक प्रति वर्ष एक हजार रुपए जमा करने की घोषणा किये और एक हजार पहली किस्त दिए, इसी तरह ग्राम प्रमुख बरबहली भोजराज सिन्हा ने सुकन्या समृद्धि योजना में पाँच साल तक प्रति वर्ष एक हजार रुपए जमा करने की घोषणा किया । सिन्हा समाज तहसील देवभोग ने निर्णय किया कि पिंकी सिन्हा के क्षतिग्रस्त मकान का मरम्मत एवं परिवारिक समस्या का निदान करने एक समिति का गठन किया गया है ।

प्रथम पेज का शेष

दो पेड़ों के सहारे बिजली ...

नजारा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे वे खतरा मोल ले रहे हैं। सुकमा जिला के नागलगुड़ा के लोगों ने शासन और प्रशासन से मदद की आश छोड़कर अपनी जरूरतों को ध्यान में रख गांव की सहूलियत के लिए ग्रामीणों ने पारंपरिक देशी तकनीक के जुगाड़ से पुल का निर्माण कर डाला।

विकास के दावों पर नाकामी का आइना : सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 35 किमी की दूरी पर मलगेर नदी पर नागलगुड़ा में बना यह पुल कई तरह से शासन और प्रशासन को आईना दिखा रहा जो प्रशासन विकास के नाम पर वाहवाही लूटते नहीं थकते। सरकार के भरोसे रह कर परेशानियों को झेलने से बेहतर ग्रामीणों ने खुद ही अपनी जुगाड़ कर विपरीत परिस्थितियों से मुक्ति पा लिया। ऐसा नहीं है की शासन प्रशासन इससे अनजान थे। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कई बार पुल निर्माण की गुहार लगाई, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया गया।

बिजली के तार से पुल...

किया गया था। क्योंकि नदी के दूसरे और खेत व बाजार होने के कारण से बारिश के दिनों में नदी पर कर जाने में दिक्कत होती थी। जिसके कारण से सभी ग्रामीणों ने मिलकर यहां पर बिजली तार के मदद से पुल का निर्माण किया गया है।

खेत-खलिहान ...

का पुल तैयार कर लिया। अब ग्रामीण इसी पुल के सहारे सप्ताहिक बाजार से रोजमर्रा के सामान की खरीदी भी करते हैं। और साथ ही खेती किसानी भी उनकी आसानी हो जा रही हैं। जुगाड़ का पुल ग्रामीणों ने बना तो लिया हैं। ले कि न यह खतरनाक हैं पुल पर चलने के दौरान हिलता हैं बच्चों के साथ पार करना खतरनाक है।

छत्तीसगढ़ में विधायकों...

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद 40 करोड रुपये की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव का अनुमोदन। क्षेत्र संयोजक से सीईओ, जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति न्यूनतम समय 5 वर्ष में 6 माह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन। वर्ष 2022-23 में आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गौठान विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की पूर्ति करने ''अतिरिक्त आबकारी शुल्क'' में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन। विघटित परिवहन निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन।

सीमावर्ती क्षेत्रों में चलेगा...

संयुक्त रूप से निगरानी रखने एवं नक्सलियों के लिए सामग्रियों की आपूर्ति लाईन को रोकने की रणनीति पर भी विचार किया गया। अन्तर्राज्यीय बैठक में दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के नक्सल ऑपरेशन से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वीसी के माध्यम से उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरापुट (उड़ीसा) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर, पुलिस अधीक्षक सुकमा, कोण्डागांव, महासमुंद तथा कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर भी जुड़े थे।

सिंगर दलेर मेहंदी ...

साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी और बाद में उन्होंने सत्र अदालत में अपील दायर की थी। आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

केस वर्कर एवं बहुउद्देशीय सहायक के रिक्त पदों में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

बेमेतरा/नवप्रदेश। महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत सखी वन स्टाप सेंटर में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रुप में 1 पद केस वर्कर एवं 1 पद बहुउद्देशीय सहायक के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस पद हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला आवेदकों से 19 जुलाई 2022 तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में शाम 5:30 बजे तक जिला कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा में जमा कर सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोबिया बेमेतरा, जिला पंचायत बेमेतरा के सूचना पटल एवं जिला बेमेतरा के वेबसाईट www.bemetara.gov.in पर देखी जा सकती है।

निधन

अधिवक्ता बी माधव राव

भाटापारा/नवप्रदेश। नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.माधव राव का गुरुवार 14 जुलाई को निधन हो गया।वे लगभग 75 वर्ष के थे। उनका अंतिम यात्रा आज 15 जुलाई शुक्रवार को स्टेशन रोड़ स्थित निवास से दोपहर 12 बजे निकलेगी। वे डॉक्टर बी.राघव राव के बड़े भाई , संदीप राव एवं सचिन राव के पिता थे। उनके निधन पर अधिवक्ताओं सहित आर एस एस से जुड़े लोगों ने व जिला निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों ने गहरा दुःख व्यक्त किया है।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-203 दि. 06.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- डा. खूबचंद बघेल-68

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-68 स्थित भवन/ भूमि RPR567I00049 जो कि निगम अभिलेख में श्री फिरन्ता राम साहू s/o स्व. नान्हू राम साहू के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती उमा बाई साहू w/o स्व. द्वारका साहू ने शपथ पत्र, हकत्याग एवं बंटवारा नामा/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-204 दि. 06.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- मं. लक्ष्मीनारायण दास-43

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-43 स्थित भवन/ भूमि RPR662L00036 जो कि निगम अभिलेख में 1. शशि नारायण 2. सतीश दोनों s/o स्व. श्री श्यामलाल बिजौरा 3. गिरधारीलाल s/o स्व. श्री रूरहाराम बिजौरा 4. श्री रूपकुमार 5. निर्मल कुमार दोनों s/o स्व. लखनलाल बिजौरा के नाम से दर्ज है जिसको श्री नंदकिशोर बिजौरा s/o स्व. श्री शिवकुमार बिजौरा ने शपथ पत्र/ सहमति पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी सेजबहार, जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत भवन क्र. एलआईजी-279 श्री मनीष कुमार चंद्राकर पिता श्री एल.आर. चंद्राकर, के नाम पर इस कार्यालय का आबंटन आदेश क्र. 1188 दिनांक 05.03.2007 के माध्यम से आबंटित है। आबंटी द्वारा भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 21.10.2009 को लीजडीड निष्पादित करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्री मनीष कुमार चंद्राकर पिता श्री एल.आर. चंद्राकर निवासी- श्री मनीष कुमार चंद्राकर पिता श्री एल.आर. चंद्राकर निवासी-566 वार्ड नंबर 66 फुटबाल हाउस के पास, सुंदर नगर रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्री देवेन्द्र दुबे पिताश्री शिव यज्ञ द्विवेदी निवासी-34, लवाही कोटा, सीधी म.प्र. के पक्ष में विक्रय करना चाहता है। विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा की छायाप्रति एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन को क्रेता भी श्री देवेन्द्र दुबे पिता श्री शिव यज्ञ द्विवेदी के पक्ष में विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाान है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखंड/भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-02
शहीद स्मारक स्कूल के.के. रोड रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 131/2022-23
वार्ड का नाम-हवलदार अब्दुल हमीद-36

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि हवलदार अब्दुल हमीद-36 स्थित मकान/ भूमि RPR737F00586 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती शशि सेहगल पति हरीश सेहगल के नाम से दर्ज है, जिसको श्री जसप्रीत सिंग कोहली पिता हरजीत सिंह कोहली ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक- 02
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-201 दि. 06.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- पं. दीनदयाल उपाध्याय-42

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-41 स्थित भवन/ भूमि RPR569E00235 जो कि निगम अभिलेख में श्री डुमनलाल भारद्वार s/o भुनेश्वर भारद्वाज के नाम से दर्ज है जिसको 1. श्री सुरीत कुमार साहू s/o श्री नंदकुमार साहू 2. श्री चन्द्रशेखर साहू पति/पिता श्री नंदलाल साहू ने शपथ पत्र/ सहमति पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-202 दि. 06.07.2022
वार्ड का नाम वार्ड- भक्त माता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 स्थित भवन/ भूमि RPR663G0001A जो कि निगम अभिलेख में छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड के नाम से दर्ज है जिसको श्री चिरंजीव सरकार s/o श्री चितरंजन सरकार ने शपथ पत्र/ सहमति पत्र/ मृत्यु प्रमाण पत्र/ रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगरपालिका परिषद दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
क्रमांक/383/तक./न.पा.परि./2022-23 दन्तेवाड़ा, दिनांक 11/07/2022

मैनुअल पद्धति से निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत फर्म/एजेंसी/ ठेकेदार/व्यक्तियों से निम्नलिखित कार्य हेतु नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा द्वारा मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	अनु. बसों की संख्या	आरएफपी हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि
1	Selection of Operators for operation, Maintenance and Management of cluster Dantewada City Bus Services and Ancillary Infrastructure in Baster Urban Agglomeration in Chhattisgarh	04	18.07.2022

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के तकनीकी शाखा से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाइट https://www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय नगर पंचायत फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
Email ID:- cmofingeshwar@gmail.com Phone No. 07701-296340
क्रमांक/993/लो.नि.शा./न.पं./2022-23 फिंगेश्वर, दिनांक 14/07/2022

मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर पंचायत फिंगेश्वर अंतर्गत CGPWD में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत संस्था/फर्म/ठेकेदारों से विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मैनुअल निविदा फार्म ''ए'' में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

निविदा हेतु आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :-

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि - 26.07.2022 : कार्यालयीन अवधि तक
2. निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि - 03.08.2022 : कार्यालयीन अवधि तक
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 10.08.2022 : कार्यालयीन अवधि तक
4. निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि - 12.08.2022 : दोप. 12.00 बजे

स. क्र.	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	अमानत राशि (FDR)	निविदा प्रपत्र मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी (एकल प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत)
1	वार्ड क्र. 14 में नवाब घर से भागवत पाण्डे घर सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	2.79	2790.00	750.00	03 माह	सक्षम श्रेणी
2	वार्ड क्र. 03 में सामुदायिक भवन से सेवक निषाद घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	3.11	3110.00	750.00	03 माह	सक्षम श्रेणी
3	वार्ड क्र. 08 में मेन रोड से यादव समाज भवन तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	1.38	2000.00	300.00	03 माह	सक्षम श्रेणी
4	वार्ड क्र. 06 में रामसहाय घर से तेजराम सोनकर घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	0.77	2000.00	300.00	03 माह	सक्षम श्रेणी
5	वार्ड क्र. 15 में कोतवाल घर से पुलिया तक पी.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	2.35	2350.00	750.00	03 माह	सक्षम श्रेणी
6	वार्ड क्र. 09 फिंगेश्वर में रंगमंच निर्माण कार्य। (पार्षद निधि)	2.00	2000.00	300.00	03 माह	सक्षम श्रेणी

निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत फिंगेश्वर

सी.आई.एन. U40108CT2003SGC015820 GSTIN-22AADCC5773EIZX

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
कार्यलय - कार्यपालन यंत्री,
मीटर & रिले परीक्षण संभाग-एक, गुढ़ियारी, रायपुर-492011
वेबसाईट www.cspc.co.in ईमेल eemrt1.raipur@cspc.co.in दूरभाष/फैक्स : 0771-2574721
क्र. 10-61/क्रय/306 रायपुर, दिनांक 14.07.2022

// निविदा आमंत्रण सूचना //

*** जीप श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध हेतु***

कार्यपालन यंत्री (एम.आर.टी.) संभाग-एक, रायपुर के कार्यालयीन कार्यों के लिए वाहन चालक सहित 1 नग जीप श्रेणी अथवा समकक्ष वाहन के अस्थाई अल्पकालीन अनुबंध **(दो वर्ष)** हेतु पंजीकृत/ उपयुक्त ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदाओं को खोलने की निर्धारित तिथि व समय
दिनांक 02.08.2022 समय 17.00 बजे तक	दिनांक 03.08.2022 समय 15.30 बजे तक	दिनांक 03.08.2022 समय 16.00 बजे

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट http://cspc.co.in से डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री (एम.आर.टी.) संभाग-एक
छ.ग.स्टे.पा.ट्रां.कं.लि., रायपुर
संवाद-33203/1

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सरोरा रोड उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे, फोन : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक CG/RYP/DN/ 40/2019-2021

अच्छी बारिश से मौसम सुहाना, किसानों के खिले चेहरे, रोपा लगाई का काम जोरों पर

खैरागढ़ /नवप्रदेश। इस वर्ष मानसून समय पर आने से किसानों के चेहरे में मुस्कान है। रोपा लगाई जोरों पर है। हाईब्रिड की थरहा 15 से 20 दिन के अंदर ही लगना चालु हो गया है। अगर इसी तरह मौसम बना रहा तो कुछ ही दिन में हरेली त्योहार के पहले रोपा लगाई समाप्त हो जायेगी। सभी किसानों के खेत में हरियाली भर जायेगी। जब से आषाढ़ का महिना लगा है तब से मौसम अपने मिजाज पर है हर दिन बरसात हो रही है जिसका सुखद परिणाम किसानों को मिल रहा है। अच्छे बारिश होने से अच्छा उत्पादन होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है जो अन्नदाताओं के लिये वरदान साबित हो रही है। पिछ्लों सालों के अपेक्षा देखा जाय तो इस साल बोनी से लेकर रोपा लगाई तक इंद्र देव मेहरबान है। अभी तक बरसात को लेकर कोई भी किसान भगवान का शिकायत नहीं किये है। जबकि हर साल बरसात को लेकर किसान चिंतित रहते थे, लेकिन इस साल खरीफ फसल के लिये मानसून मान गये है किसान खुशी खुशी अपनी रोपा लगाई कृषि कार्य में व्यस्त हैं।

अदाणी फाउंडेशन द्वारा संचालित नवोदय कोचिंग के 10 बच्चों का नवोदय विद्यालय में हुआ चयन

खरोरा/नवप्रदेश। केंद्र सरकार की बोर्डिंग स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में अदाणी फाउंडेशन के नवोदय कोचिंग के दस विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। प्रवेश परीक्षा में इस कोचिंग संस्थान के कुल 10 बच्चों में से चार लड़कियों और छः लड़कों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय, माना-रायपुर में हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय, माना कैंप, रायपुर का परिणाम पिछले शुक्रवार को घोषित किया गया। रायपुर एनेर्जेन लिमिटेड (आरईएल) के अदाणी फाउंडेशन द्वारा प्रतिभाशाली जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किये गए जवाहर नवोदय कोचिंग केंद्र को आसपास के ग्राम रायखेड़ा, गैतरा, चिचोली, तराशिव, गौरखेड़ा इत्यादि सहित कुल बारह अलग-अलग ग्रामों में संचालित किया जा रहा है। चयनित

बच्चों में ग्राम ताराशिव से चार बच्चों जिनके नाम कुमारी शाक्षी वर्मा, कुमारी शीतल सेन, आयुष वर्मा और अर्पित हरवंश वहीं ग्राम छतौद से दो बच्चों के नाम क्रमशः कुमारी काव्या साहू, जतिन वर्मा जबकि ग्राम रायखेड़ा, गैतरा, कोनारी और गौरखेड़ा से एक-एक बच्चे प्राची वर्मा, घनिष्ट वर्मा, लक्ष्मण वर्मा और रागिनी ध्रुव का चयन हुआ।

कोचिंग केंद्रों के इतने अच्छे परिणाम से सभी गांवों में हर्ष का माहौल है साथ ही बच्चों के माता-पिता काफी खुश हैं। ग्राम गौरखेड़ा की रागिनी ध्रुव के पिता रमेश ध्रुव पेशे से किसान हैं। उन्होंने कहा कि मैं नवोदय स्कूल में रागिनी का चयन होने पर बहुत खुश हूँ। मुझे यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे बड़े स्कूल में अब मेरी बच्ची पढ़ेगी। इसके लिए मैं अदाणी फाउंडेशन का दिल से धन्यवाद देता हूँ।

विधायक ने नवप्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर कराया शाला प्रवेशोत्सव

खरोरा/नवप्रदेश। धरसीवा विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा के द्वारा प्राथमिक शाला गिरौद में नव प्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर खीर खिलाकर उनका अभिनंदन किया साथ ही उन्हें निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य सामाग्री प्रदान किया और नव प्रवेशित बच्चों एवं उनके पालकों को उन्हें शिक्षा का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा के द्वारा विद्यालय में सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि आज शाला का नियमित रूप से संचालन प्रारम्भ हो रहा है हमारे बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करेंगे और विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेंश्वरी वर्मा, ब्लाक अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा, पंकज नायक, रोशन पुरी गोस्वामी, यशवंत वर्मा, पलाश मनु,आयुष वर्मा, सहित समस्त शिक्षक गण एवं भारी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

बोड़ला ब्लॉक में बिजली की व्यवस्था नहीं सुधरी तो विद्युत विभाग का घेराव करेगा जोगी कांग्रेस

■ **बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ लेकिन बिजली साफ हो गया - सुनील**

बोड़ला/नवप्रदेश। नगर बोड़ला में जोगी कांग्रेस द्वारा बिजली कटौती के सम्बंध में सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंप कर परेशानियों को दूर करने के लिए चर्चा किया गया । जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने कहा कि नगर पंचायत बोड़ला एवं ग्रामीण वनांचल क्षेत्र में किसी भी समय कभी भी बिना सूचना के बिजली बंद हो जाती है अब ऐसा प्रतीत होंने लग गया है कि यहां पूर्व की भांति अघोषित बिजली कटौती हो रही है बिजली कटौती कि वजह से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विशेषकर गांव और वनक्षेत्र में जीवन जीने वाले वासियों को हमेशा खतरनाक जीव जंतु से खतरा बना रहता है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार चुनाव से पहले बिजली बिल हाफ की बात कही थी लेकिन यहां तो बिजली बिल के हाफ की जगह बिजली ही साफ है।

जोगी कांग्रेस बोड़ला शहर अध्यक्ष वसीम सिद्क्की ने कहा कि बिजली विभाग मानसून पूर्व मेंटेनेंस के नाम पर दिन भर अलग अलग क्षेत्र में बिजली बन्द रख कर मेंटेनेंस करना बताती है लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है बिजली बार-बार बंद होते रहती है। यहां का जो कंट्रोल नम्बर है वो कभी चालू कभी बंद बिजली की आंख मिचौली की तरह है। यदि व्यवस्था दुरस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जोगी कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बोड़ला के आस पास ग्रामीण छेत्र हो वनांचल में तो कई कई दिनों तक बिजली बन्द की शिकायत आती रहती है ब्लाक मुख्यालय एवं नगर पंचायत बोड़ला में भी कभी भी बिजली बन्द हो जाती है इस बीच अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दलीचंद ओगरे, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गणेशपात्रे, ब्लाक अध्यक्ष बिहारी पटेल, जेडी मानिकपुरी वचन दास मानिकपुरी,अनिल निर्मलकर, नेतराम यादव, गोविंद यादव, सौरभ आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

शहीद हुए तात्कालीन एसपी समेत 29 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि

■ **रक्तदान शिविर का किया आयोजन, 49 लोगों ने किया रक्तदान**

राजनांदगांव। 12 जुलाई 2009 को मानपुर के ग्राम कोरकोट्टी में नक्सलियों से अदम्य साहस व वीरता के साथ लोहा लेते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व्हीके चौबे सहित 29 वीर जवानों के शहादत को नमन करते हुए उनकी शहादत दिवस पर प्रतिवर्ष की तरह 12 जुलाई 2022 को जिले के समस्त रक्षित केन्द्र, थाना, चौकी, कैम्पों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रातः 8.45 बजे शहीद विनोद चौबे के प्रतिमा पर उनकी धर्मपत्नी रंजना चौबे सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करने के पश्चात प्रातः 9 बजे रक्षित केन्द्र राजनांदगांव के शहीदों के स्मारक एवं मंगल भवन में वीर सपूतों की तस्वीरों पर श्रद्धासुमन चढ़ा कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और शहीद परिवार के उपस्थित सदस्यों को शाल, श्रीफल, मोमेन्टो भेंट किया गया और उनकी समस्या पूछकर त्वरित निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात रक्षित केंद्र राजनांदगांव में रक्तदान शिविर का आयोजन कर 49 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक छन्नी साहू, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक यशोदा वर्मा, लीलाराम भोजवानी, पार्षद संतोष पिल्ले, भरत वर्मा एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा शहीद कार्यक्रम में उपस्थित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया।

गुरु पूर्णिमा पर आचार्य सम्मान समारोह का आयोजन

खरोरा/नवप्रदेश। सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय खरोरा में माँ सरस्वती बाल - कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आचार्य सम्मान समारोह अयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर के समाज सेवी श्री ईश्वरी प्रसाद देवांगन विशेष अतिथि श्रीमती अम्बिका बंछोर एल्डरमेन नगर पंचायत खरोरा व प्राचार्य श्री अश्वनी पाटकर के द्वारा मां सरस्वती वेदव्यास की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भैया/बहिनों द्वारा गुरू की महत्ता पर आधारित गीत,कविता,भजन आदि प्रस्तुत किये गये। मुख्य अतिथि श्री ईश्वरी प्रसाद देवांगन ने कहा आषाढ़ पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु व शिष्य के संबंध को मजबूत करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इस परम्परा को बनाये रखना और अपने गुरू का सम्मान करते रहना

चाहिए । गुरु का स्थान सर्वोत्तम स्थान माना गया है। गुरू वह है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं तथा जो हमें सत्मार्ग की ओर ले जाते हैं, ऐसे गुरु बनाये। व भैया/ बहिनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ दी। प्राचार्य अश्वनी पाटकर ने गुरू व शिष्य की महत्ता पर विचार प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य श्री श्रीमती कंचन वर्मा के मार्ग दर्शन में बहिन आहुति शर्मा ने किया। माँ सरस्वती बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण दानी जी व्यवस्थापक श्री प्रकाश सिंह ठाकुर जी व श्री महेश बैस द्वारा समस्त आचार्य परिवार को आचार्य वेश तथा श्रीफल प्रदान कर आचार्यों का सम्मान किया गया।

परिवार न्यायालय में पदस्थ ओंकार प्रसाद गुप्ता के स्थानांतरण पर दी विदाई

बेमेतरा/नवप्रदेश। जिला अधिवक्ता संघ बेमेतरा में बेमेतरा परिवार न्यायालय में पदस्थ ओंकार प्रसाद गुप्ता के स्थानांतरण होने पर 12 जुलाई को विदाई समारोह एवं श्रीमती मधु तिवारी अपर जिला न्यायाधीश बेमेतरा पाक्सो बेमेतरा के स्वागत समारोह आयोजित किया गया। श्री गुप्ता न्यायाधीश के कार्य बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय रहा। इनका कार्यकाल बेमेतरा में लगभग 10 माह तक रहा हैं, जिसमें उनके द्वारा सभी प्रकरणों में पति एवं पत्नियों को काफी राहत प्रदान करते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया हैं। न्यायाधीश के द्वारा अपने कार्यालय में आवेदिका (पत्नी) को लगभग 25 लाख रुपए तक वसूल कर दिलाया हैं, जो बेमेतरा न्यायालय में प्रथम बार किसी न्यायाधीश द्वारा दिलाया गया है। श्री गुप्ता ने जिला अधिवक्ता संघ बेमेतरा के सभी अधिवक्ताओं को न्यायालय में सहयोग के लिए धन्यवाद किया तथा कहे कि बेमेतरा जैसे अधिवक्ता संघ उन्होंने कही नहीं देखा हैं। समारोह में जिला सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय

निमोणकर, अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग एक) तनुश्री गवेल, जसविंदर कौर अजमानी मलीक जिला विधिक सेवा बेमेतरा उपस्थित रहें। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रणीश चौबे व सचिव डिकेन्द्र देवांगन द्वारा श्री गुप्ता का श्रीफल साल एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत किये। श्री चौबे ने न्यायाधीश श्री गुप्ता के कार्यकाल को काफी सराहना किया और कहा कि उनके कार्यकाल में सभी अधिवक्ताओं ने आपके न्यायालय में हमेशा सीखने को मिला है तथा आप जहां भी रहे हमारा संघ आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से परसराम देवांगन, विश्वराज भूवाल, रविशंकर श्रीवास्तव, राजेश शर्मा, सोहनलाल निषाद, अशोक नामदेव, प्रभात शर्मा, अप्रीतम मनीष दीक्षित, विनय किशोर, मणीशंकर दिवाकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, संजय राजपूत, गोवर्धन, रमेश त्रिपाठी,महेंद्र, रामकुमार जोशी, विवेक पोल, नीलकमल सोनी, दिनेश तिवारी लोक अभियोजक, सतीश वर्मा सहायक लोक अभियोजक, नरेश तिवारी, फहीम शरीफ, लालबहादुर शर्मा, गिरीश शर्मा, सुकांति दास, केशव नामदेव, नीक्कू गुम्बर, हेमंत वर्मा, मानस मिश्रा, बृजमोहन शर्मा, दीपक तिवारी, प्रसून शुक्ला, मोतीलाल वर्मा, राजेंद्र पाण्डेय, सलमा शरीफ सुनीति दास, पीलेश्वर पाण्डेय, सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहें।

बेरोजगारी पर बड़े आंदोलन की तैयारी

विधानसभा स्तरीय बैठक में जुटे युवा मोर्चा के पदाधिकारी

खरोरा/नवप्रदेश। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारीयों व्दारा छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी के विषय पर एक बड़े आंदोलन की तैय्यारी की जा रही है। इसके लिए बक़ायदा प्रदेश के बाद ज़िला और विधानसभा स्तरीय बैठक कर रणनीति बनाई जा रही हैं।

प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के निर्देश से आज धरसीवा विधानसभा स्तरीय बैठक दोंदे में रखा गया। जिसमें बैठक लेने पहुँचे युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री एवं ज़िला प्रभारी कैलाश शर्मा ने बताया की आगामी 9 अगस्त को राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सुर्या के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ बेरोज़गारी को लेकर एक वृहद् आंदोलन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जायेगा। इसके लिए उन्होंने ज़रूरी तैय्यारी के निर्देश दिए। बैठक को युवा मोर्चा रायपुर ज़िला ग्रामीण अध्यक्ष संचित ने भी संबोधित किया उन्होंने धरसीवा विधानसभा अंतर्गत खरोरा, धरसीवा एवं विधानसभा मंडल के गाँवों में प्रदेश सरकार के वादाखिलाफी एवं आगामी कार्यक्रमों के विषय पर वॉल राइटिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया की प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आगामी दिनों में धरसीवा विधायक का घेराव करना हैं इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैय्यार रहने का निर्देश दिये। बैठक के दौरान भाजपा ज़िला अध्यक्ष अभिनेष कश्यप के पहुँचने पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं व्दारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। जिसमे प्रमुखरूप से युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं ज़िला सहप्रभारी मनीष बंसल, ज़िला रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष संचित तिवारी, भाजपा ज़िला उपाध्यक्ष अरविंद ठाकुर, भाजपा विधानसभा मंडल अध्यक्ष रोबिन साहू, युवा मोर्चा सोशल मीडिया प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विकास ठाकुर, ज़िला महामंत्री सुशील जलक्षत्री, फनेन्द्र वर्मा, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, दिपक तिवारी, युवा मोर्चा खरोरा मंडल अध्यक्ष आयुष वर्मा, धरसीवा मंडल अध्यक्ष टिनू कांत वर्मा, विधानसभा मंडल अध्यक्ष टिंकू साहू, उमेश वर्मा, सुबोध सेन, विवेक वर्मा, चंद्रकांत साहू, नेहरू साहू, नेमीचंद धीवर, प्रमोद निषाद, अभिषेक वर्मा आदी लोगों सहित बड़ी संख्या में धरसीवा विधानसभा के युवा मोर्चा के कार्यकर्त्ता उपस्थित थे।

24 घंटे के भीतर पुलिस ने किया हत्या के मामले का खुलासा

खरोरा/नवप्रदेश। दिनांक 11 जुलाई को शाम के खरोरा पुलिस को सुचना मिली की एक बुजुर्ग महिला की गांव मे मृत्यु हुई हैं वहीं उसके परिवार वालो का कहना पलंग से गिरना बताया जा रहा हैं जबकि उसके चेहरे पर चोट आई हैं और उन्हें किसी और प्रकार की घटना का अंदेशा हैं, जिस पर थाना प्रभारी बृजेश तिवारी ने तत्काल सब इंस्पेक्टर तपेश नेताम के नेतृत्व मे एक टीम गांव भेजा व अंतिम संस्कार जाँच करने तक रोकने को कहा जिस पश्चात उक्त मृत महिला की बॉडी को मृत्युरी मे रखा गया व दूसरे दिन पोस्टमार्टम कराया गया वहीं इस बिच घर मे घटना के वक़्त घर पर मृतक के साथ अकेली रहने वाली महिला उसकी बहु ने अपने परिवार के सदस्ययो को बताया की उससे एक भूल हो गई हैं व मृतिका जो उसकी सास हैं वह पलंग से गिर गई थी व वह ज़ब उसे उठा रही थी तब उसकी सास गुस्से मे उसे चिल्लाने लगी और उसे भी गुस्सा आने पर उसने अपनी सास के गले पर पैर रखकर कपड़े से मुँह को दबा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।

मानिकपुरी समाज ब्लॉक स्तरीय सहसपुर लोहारा इकाई युवा प्रकोष्ठ का गठन

कवर्धा/नवप्रदेश। गुरुपूर्णिमा के पावन पर्व पर सद्गुरु कबीर साहब के असीम कृपा से 13 जुलाई बुधवार को साहू भवन सहसपुर लोहारा में समस्त पार बैठक के युवकों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों साथ ही सभी बैठक प्रमुखों के उपस्थिति में ब्लॉक स्तरीय युवा प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से गुरूमहिमा पाठ से हुआ। ततपश्चात सद्गुरु कबीर साहब के चरण कमल में फूल-पान अर्पित कर पूजा अर्चना हुई। ब्लॉक पदाधिकारियों एवं बैठक प्रमुखों को मंचासीन किये, साथ ही 5 निर्यायक मंडल को भी मंचासीन किये गए। सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत -सत्कार युवाओं के द्वारा किया गया। कार्तिकदास मानिकपुरी के द्वारा निर्वाचन सम्बंधित नियम से सबको अवगत कराया। ततपश्चात नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। नामांकन एवं फार्म जमा करने के

लिए निर्णायक मंडल द्वारा 1:30 से 3 बजे तक समय निर्धारित किया गया था। नामांकन दाखिल करने के लिए सर्वसम्मति से अमानत राशि अध्यक्ष पद हेतु 1100, सचिव पद हेतु 900, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु 700-700 रुपये की राशि तय किये गए थे।

इसी तारतम्य में ब्लॉक युवा अध्यक्ष के लिए फार्म रामू दास मानिकपुरी ग्राम कारेसरा, सचिव पद के लिए सुरेश दास मानिकपुरी ग्राम जुनवानी जंगल, उपाध्यक्ष पद के कमलेश दास मानिकपुरी ग्राम गौरमाटी एवं कोषाध्यक्ष पद के श्री प्रदीप दास मानिकपुरी ग्राम नरोधी ने अमानत राशि जमा कर लिये। अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रस्तावक के साथ समयावधि में निर्णायक मंडल के पास फार्म जमा किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा फार्म का जाँच कर सभी का सही होना पाया। चारों पद के लिए एक-एक फार्म जमा हुवे अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्विरोध विजयी घोषित किए। जिसकी घोषणा प्रमुख सियान परमेश्वर दास मानिकपुरी ग्राम चंदेनी के द्वारा निर्यायक मंडल के सहमति के पश्चात हुई। विजयी अभ्यर्थियों को उपस्थित सियानों के द्वारा तिलक लगाकर एवं फूल माला- पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद प्रदान किये। सभी युवा साथियों ने भी हर्षोल्लास के साथ चयनित युवाओं का आत्मिक स्वागत किये।

इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष फागूदास , ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रकाश दास, ब्लॉक सचिव मनबोध दास , ब्लॉक कोषाध्यक्ष दिलीप दास , ब्लॉक सरंक्षक बिसाहू दास , प्रमुख सियान परेश्वर दास, हरिहर दास, खम्हन दास , अमर दास , श्याम दास, दयाल दास , हीरा दास , रूपदास , अँजोर दास, संतोष दास , डिगम्बर दास , मोती दास, केशव दास , नारायण दास, तिलक दास जी एवं शरद बांगली (जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि) ने अपना सुझाव एवं आशीर्वचन प्रदान किये। चयनित युवावों ने भी उपस्थित जनसमुदाय के बीच समाज के समग्र विकास के लिए अपना-अपना विचार रखें। संध्या बेला में सद्गुरु कबीर साहब की संगीतमय संध्या आरती हुई। भोजन भंडारा का भी व्यवस्था समस्त युवाओं के सहयोग से रखा गया था।

कार्यक्रम के सफल संचालन देवदास एवं कार्तिक दास द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन सहसपुर लोहारा ब्लॉक के समस्त युवाओं के पूर्ण समर्पण, मेहनत एवं सहयोग से हुआ।

इन्द्र साव
विनोद अग्रवाल
अमर मंडावी
संतोष सोनी
हेमन्त उपाध्याय
सचिन शर्मा
अशोक तिवारी
अरूण यदु
संजय शर्मा
गोपाल शर्मा
मनोज ठाकुर
सोनू पटाक
सुनील गुप्ता
मा. रविन्द्र चौबे
कृषि मंत्री छ.ग. शासन
सुश्री शकुन्तला साहू
संसदीय सचिव छ.ग. शासन
शैलेश नितिन त्रिवेदी
मा. सुरेन्द्र शर्मा
अध्यक्ष कृषक कल्याण परिषद छ.ग. शासन
मा. भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री छ.ग. शासन
यशस्वी मुख्यमंत्री मान. भूपेश बघेल जी
का हार्दिक आभार...
कृषि ऊपज मण्डी समिति, भाटापारा
के शपथ ग्रहण समारोह
में पधारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन
कार्यक्रम
15 जुलाई 2022, शुक्रवार, समय - दोपहर 1 बजे
नोट :- रंगारंग छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कार्यक्रम
स्थल- मण्डी प्रांगण, भाटापारा
मा. गिरीश देवांगन
अध्यक्ष खनिज विकास निगम छ.ग. शासन
मा. सुशील शर्मा
अध्यक्ष
कृषि ऊपज मंडी समिति, भाटापारा
श्रीमती चित्रलेखा साहू
उपाध्यक्ष
कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा
श्री के.के. नायक
सदस्य कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा
श्री अमरनाथ जगत
सदस्य कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा
श्री तुलाराम यादव
सदस्य कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा
श्री अश्विनी बारले
सदस्य कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा